इकाई 6 शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009*

रूपरेखा

6.1 प्रस्तावना

6.2 उद्देश्य

6.3 मानव अधिकार के रूप में शिक्षा

6.4 भारत में प्रारंभिक शिक्षा की वर्तमान प्रस्थिति

6.5 शिक्षा का अधिकार अधिनियम : इतिहास और उत्पत्ति

 6.5.1 अधिकार क्षेत्र

6.6 अधिनियम के प्रावधानों

 6.6.1 शिक्षा का अधिकार एक नजर में

 6.6.2 मुख्य प्रावधानों

6.7 हितधारकों की भूमिका

6.8 विद्यालयों में प्रभावी अधिगम वातावरण

6.9 शिक्षा का अधिकार का वित्त पोषण और क्रियान्वयन

6.10 शिक्षा का अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयनः समस्याएँ और चुनौतियाँ

 6.10.1 अध्यापकों और अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता

 6.10.2 निश्चित योग्यता की कमी

 6.10.3 शिक्षा के अधिकार का वित्त पोषण

 6.10.4 विधमान शैक्षिक संरचना का नवीनीकरण

 6.10.5 आधारभूत सुविधाओं का अभाव

 6.10.6 परिणाम आधारित प्रणाली विकसित करना

 6.10.7 प्रारंभिक बाल्य शिक्षा का वहिष्करण

6.11 सारांश

6.12 संदर्भ ग्रंथ एवं उपयोगी पठन सामग्री

6.13 बोध प्रश्नों के उत्तर

6.1 प्रस्तावना

शिक्षा "अपने आपमें मानव अधिकार और मानव अधिकार प्राप्त करने के अपरिहार्य उपाय दोनों" हैं। निरंतर शिक्षा को सर्वश्रेष्ठ वित्तीय निवेशों में से एक स्वीकारा गया है, जिसे सरकार करती है। परंतु शिक्षा का महत्व केवल व्यावहारिक ही नहीं हैः सुशिक्षित, ज्ञान सम्पन्न और कुशाग्र बुद्धि स्वच्छंद रूप से तथा व्यापक रूप से भ्रमण कर सकता है, यह मानव अस्तित्व के आनंद और श्रेयों में से एक है (आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक

* इस इकाई की विषयवस्तु शिक्षा का अधिकार (एम्निस्टी इंटरनेशनल, 2012, नीदरलैंड और एच.आई.आर.आई.पी. तथा फोरम एशिया (ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑन ह्यूमन राइट्स, 2012) से ली गई है।

अधिकारों संबंधी समिति – Committee on Economic, Social and Cultural Rights - CESCR):

शिक्षा के माध्यम से लोगः

- जीवन और कार्य के बारे में सीख सकते हैं, ताकि अधिक सामाजिक और आर्थिक अवसर प्राप्त कर सकें तथा इस बारे में बेहतर विकल्प ले सकें कि वे कैसे जीना चाहते हैं;
- मित्रों और साथी छात्रों के मध्य पढ़ने का आनंद ले सकते हैं;
- अपना स्वयं का व्यक्तित्व विकसित कर सकते हैं;
- अपने अधिकारों के बारे में तथा उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है, जान सकते हैं;
- अपने बच्चों को जीवन में अच्छी शुरुआत दे सकते हैं;
- ज्ञात कर सकते हैं कि वह सूचना कैसे प्राप्त की जाती है, जिसकी उन्हें आवश्यकता है;
- अपने को उससे अद्यतन रख सकते हैं जो उनकी समुदाय या देश में हो रहा है;
- उन निर्णयों में भाग ले सकते हैं, जो उन्हें प्रभावित करता है; और
- अन्य द्वारा किए गए उन निर्णयों को चुनौती दे सकते हैं जो उनके जीवन को क्लीष्ट बनाते हैं।

बच्चों के लिए शिक्षा असाधारण स्थान प्रदान करता है जहाँ वे जीवन के बारे में सीखने के लिए खेल सकते हैं, घरेलू कार्यों का कम भार लेते हैं और बाल श्रम से पूर्णतः मुक्त होते हैं। शिक्षा परंपरागत रूप से सीमांतिक वर्गों, जैसे महिलाओं, अल्पसंख्यकों, ग्रामीण समुदाय और समाज के अत्यधिक गरीब वर्गों की गरीबी और दमन के चक्र तोड़ने के लिए सशक्तीकरण करता है। शिक्षा औपचारिक विद्यालय परिवेश में सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा यथा प्रदान अनौपचारिक रूप से दी जा सकती है।

अपने बच्चों को शिक्षा के लिए अवसर देने के लिए विकासशील देशों को अधिक प्रयास करना आवश्यक है। भारत और पाकिस्तान के मध्य 40 मिलियन बच्चे विद्यालय से बाहर हैं जो विश्व के कुल बच्चों का एक–तिहाई से अधिक है। शिक्षा के अभाव में गरीबी इन दोनों देशों में एक प्रमुख कारण है। यद्यपि, प्राथमिक शिक्षा पर व्यय की गई राशि शस्त्रों पर खर्च की गई राशि से कम है।

इस इकाई में हम मानव अधिकार के रूप में शिक्षा के महत्व पर बल देते हुए और विश्व में इस दिशा में किए गए उपायों से आरंभ करेंगे। तब हम शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) अधिनियम, 2009 के संदर्भ, उसके प्रावधानों तथा उसके कार्यक्षेत्र, हितधारियों के उत्तरदायित्वों आदि का विवेचन करेंगे। हम उन विद्यमान समस्याओं और चुनौतियों का विश्लेषण करेंगे जिनका समाधान किया जाना आवश्यक है ताकि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक वास्तविकता बन सके।

6-2 mí’;

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आपः

- मानव अधिकार के रूप में शिक्षा का महत्व समझ सकेंगे, और उसकी सराहना कर सकेंगे तथा विश्लेषण कर सकेंगे;
- शिक्षा को अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक विधिक प्रलेखों में मानव अधिकार बनाने के लिए प्रारंभ किए गए उपायों से परिचित हो सकेंगे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 से सम्बद्ध उत्पत्ति और विकास से परिचित हो सकेंगे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों का निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए विश्लेषण कर सकेंगे;
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम विद्यालयों में प्रभावी अधिगम वातावरण को कैसे सुनिश्चित करेगा – इसका वर्णन कर सकेंगे; और
- अधिनियम के क्रियान्वयन सम्बन्धी भिन्न–भिन्न समस्याओं और चुनौतियों की चर्चा कर सकेंगे।

6-3 ekuo vfèkdkj d :i e f’k{kk

शिक्षा केवल तथ्यों के अधिगम करना मात्र नहीं है। शिक्षा के प्रयोजन हैं:

- मानव व्यक्तित्व को पूर्ण विकास (नीचे दिया गया बॉक्स देखें) और उसके सम्मान की भावना की ओर ले जाना;
- मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए सम्मान सुदृढ़ करना;
- प्रत्येक को स्वतंत्र समाज में प्रभावी ढंग से सहभागिता के लिए सक्षम बनाना; और
- सभी राष्ट्रों और सभी सजातीय या धार्मिक समूहों में सहिष्णुता, सम्मान और मित्रता के माध्यम से मानव अधिकारों, समानता और निष्पक्षता प्रोत्साहित करना।

> *"व्यक्तित्व विकास को "अधिगम्यता" के भाग के रूप में वर्णित किया गया है। ज्ञान और दक्षता प्राप्त करने के अलावा समुदाय का भाग होने के कारण (जानने के लिए अधिगम, करने के लिए अधिगम, सहिष्णुता और मित्रता में साथ–साथ रहने के लिए अधिगम) शिक्षा को व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। इसमें अन्य बातों के अलावा, शिक्षा को क्षमता विकास जैसे स्मृति, तर्कणा, सौन्दर्य बोध (सुन्दरता की प्रशंसा), कल्पना, सम्प्रेषण कौशल और शारीरिक क्षमताएँ विकसित करनी चाहिए।*
>
> *(lkr% यूनेस्को, 2002)*

(lkr % एम्निस्टी इंटरनेशनल, 2012)

चूँकि शिक्षा को लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है, इसलिए अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि लोगों को शिक्षा का अधिकार हो।

vUrjk"Vh; ekud

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (Universal Declaration of Human Rights - UDHR) उल्लेख करती है कि "प्रत्येक को शिक्षा का अधिकार है जो निःशुल्क, कम से कम प्रारंभिक और आधारभूत अवस्थाओं में होगा"।

vkfFkd] lkekftd ,o lkLÑfrd vfèkdkjk lcèkh vrjjk"Vh; Álfonk **(International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights - ICESCR)**

आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों संबंधी अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा का अनुच्छेद 13 और 14 शिक्षा का अधिकार निर्धारित करता है। अनुच्छेद 13 में सामान्य विवरण है कि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है और शिक्षा को मानव व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए योगदान करना चाहिए।

cky vfèkdkj lEesyu **(Convention on Rights of the Child – CRC)**

बाल अधिकार सम्मेलन के अनुच्छेद 28 और 29 शिक्षा के लिए बच्चों के अधिकार पर विचार करता है। अनुच्छेद 29 माँग करता है कि बाल शिक्षा व्यक्तित्व, प्रतिभा और पूर्णतम संभावना की क्षमताओं के साथ मानसिक तथा शारीरिक विकास की ओर निदेशित होना चाहिए।

f'k{kk esa HksnHkko d s fy, ;wuLdks lEesyu

यूनेस्को सम्मेलन माँग करता है कि राज्यों को ऐसी राष्ट्रीय नीति प्रतिपादित, विकसित और अनुप्रयोग आरंभ करना चाहिए जो अवसर और व्यवहार की समानता को प्रोत्साहित करने और विशेष रूप में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए प्रवृत्त हो।

{ks=h; Áys[k

कई क्षेत्रीय मानव शिक्षा प्रलेखों, जैसे मानव और लोगों के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर तथा बाल अधिकारों और कल्याण पर अफ्रीकी चार्टर, व्यक्ति के अधिकारों और कर्त्तव्यों पर अमरीकी घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के क्षेत्र में मानव अधिकारों पर अमरीकी अभिसमय के लिए अतिरिक्त प्रोटोकाल, प्रवासी कामगारों की विधिक प्रस्थिति पर यूरोपीय अभिसमय आदि के अधीन शिक्षा का अधिकार स्वीकार किया गया है और इसकी गारंटी दी गई है।

fØ;kdyki 6-1

मानव अधिकार के रूप में गुणवत्ता प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपकी क्या विचार है? क्या आप सोचते हैं, प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए? अपना उत्तर नीचे दी गई पंक्तियों में दीजिए।

....

....

....

....

....

....

....

jk"Vªh; lfoèkku

कई देशों के संविधान शिक्षा के अधिकार पर प्रावधान शामिल करते हैं। उदाहरण के लिए, एलसल्वाडोर के संविधान का अनुच्छेद 56 शिक्षा के अधिकार की गारंटी देता है और नागरिकों को निःशुल्क बुनियादी और विशेष शिक्षा का अधिदेश करता है। इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीकी संविधान बुनियादी औपचारिकता के लिए अपने नागरिकों के अधिकार का संरक्षण करता है, जिसे राज्य पर्याप्त उपायों द्वारा प्रभावी रूप से उपलब्ध और सुलभ बनाता है। समानता, व्यवहार्यता और विगत जातीय भेदभाव पूर्ण कानूनों और प्रथाओं के परिणाम दूर करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए दक्षिण अफ्रीकियों को सार्वजनिक शिक्षा संस्थाओं में अपनी रुचि की भाषा में शिक्षित होने का सांविधानिक अधिकार भी प्राप्त है। इसके अलावा, दक्षिण अफ्रीका का संविधान ऐसे निजी शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और अनुरक्षण करने का अधिकार भी प्रदान करता है जो जाति का आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते हैं। ऐसे विद्यालय राज्य से पंजीकृत किए जाते हैं और सार्वजनिक विद्यालय के समतुल्य स्तर बनाए रखते हैं। शिक्षा के अधिकार पर विधिक स्तर में दो व्यापक घटक सम्मिलित होते हैंः (i) समानता और निष्पक्षता के आधार पर सभी के लिए शिक्षा की सुलभता का विस्तार; और (ii) शिक्षा का प्रकार (सार्वजनिक/निजी संस्थाएँ) और विषयवस्तु (धार्मिक और नैतिक) चुनने की स्वतंत्रता। दोनों पहलू शिक्षा के अधिकार की भावना और आधारभूत सार निरूपित करते हैं।

शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में अंतर्निहित बाध्यताओं का अपेक्षित स्वरूप बाल अधिकारों पर अभिसमय में सुसंगत अनुच्छेद से सम्बन्धित शर्तों, घोषणाओं और आपत्तियों की संख्या और विविधता में प्रतिबिम्बित होते हैं। शिक्षा के अधिकार के चार घटकों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हैः

- शिक्षा अवसरों और सुविधाओं की समान उपभोग और समान उपलब्धता;
- निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा;
- साधारणतया माध्यमिक और उच्च शिक्षा की समान रूप से उपलब्धता; और
- शिक्षा में विकल्प की स्वतंत्रता तथा निजी संस्थाएँ स्थापित करने की स्वतंत्रता शिक्षा के अधिकार के संदर्भ में '4As' का महत्व नोट करना रोचक है।

- miyCèkrk (**Availability**)
  - निर्धारित आयु सीमा के अंदर देश में सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा निश्चित करना; और
  - बच्चे के सर्वश्रेष्ठ हित के सिद्धांत का पालन करते हुए अपने बच्चों के लिए शिक्षा चुनने का माता–पिता की स्वतंत्रता का सम्मान करना।
- lqyHkrk (**Accessibility**) & संस्थाएँ और कार्यक्रम :
  - सीमांतिक समूह सहित बिना किसी भेदभाव के सभी के लिए शिक्षा सुलभ होने चाहिए;
  - शारीरिक रूप से सुलभ पहुँच के भीतर तथा सुरक्षित और उचित दूरी में अपाहिजों; और
  - व्यय के अनुसार सुलभः प्राथमिक शिक्षा सभी के लिए निःशुल्क होनी चाहिए जबकि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा वहनीय होनी चाहिए तथा धीरे–धीरे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा को भी निःशुल्क बनाना चाहिए।
- Lohdk;Zrk (**Acceptability**) – शिक्षा की विषयवस्तु और किस प्रकार दी जाती है, अल्पसंख्यकों सहित सभी के लिए प्रासंगिक और स्वीकार्य होनी चाहिए।
- xzkg;rk (**Adaptability**) & शिक्षा लचीली होनी चाहिए और भिन्न–भिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में छात्रों की आवश्यकता के अनुकूल होनी चाहिए। इसमें, जिन्हें अधिगम कठिनाइयाँ हैं और प्रतिभा सम्पन्न बच्चे भी शामिल हैं।

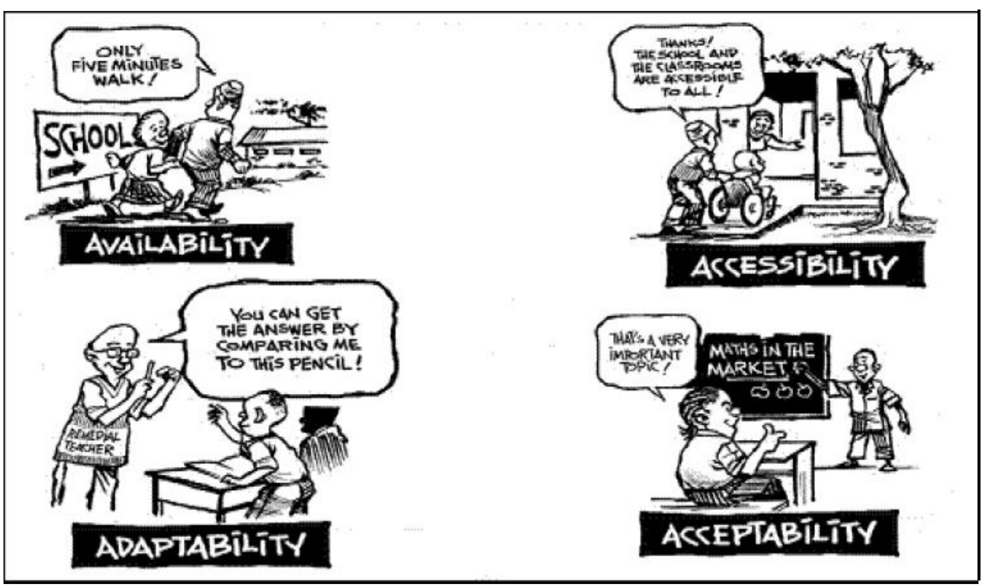

(lzksr : *एम्निस्टी इंटरनेशनल,* 2012)

4As परस्पर में सम्बद्ध है। उदाहरण के लिए, उस बालिका को जो गंभीर बीमारी से ठीक हुई है, अपने घर के पर्याप्त समीप विद्यालय की आवश्यकता होगी (उपलब्धता और सुलभता)। उसे ऐसे विद्यालय की भी आवश्यकता होगी जो अतिरिक्त पाठ पढ़ाकर अन्य बच्चों के बराबर होने में सहायता करें (स्वीकार्यता और ग्राह्यता)।

(lzksr% टोमासेवास्की, 2004)

D;k ÁkFkfed f'k{kk dk lkoHkkfedhdj.k noguh; ;k vO;kogkfjd g

सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धि दुर्वहनीय या अव्यावहारिक लक्ष्य नहीं है – यह विश्व सैन्य व्यय के लगभग चार दिनों के खर्च को निरूपित करता है, उत्तर अमेरिका के माता–पिता प्रति वर्ष अपने बच्चों के खिलौने आदि पर जितना व्यय करते हैं, उनके आधे से भी कम है और यूरोप के लोग कम्प्यूटर गेम और मिनरल वाटर पर वर्ष में जितना खर्च करते हैं उससे कम है।

6-4 Hkkjr e ÁkjfHkd f'k{kk dh orleku ÁfLFkfr

पिछले कुछ दशकों में भारत की शिक्षा प्रणाली ने उल्लेखनीय प्रगति की है। भारत की सर्व शिक्षा मध्य दशक आकलन के अनुसार सन् 2000 और सन् 2005 के मध्य केवल पाँच वर्षों में भारत ने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के नामांकन में 13.7 प्रतिशत और बालिकाओं के लिए 19.8 प्रतिशत तक की वृद्धि की है, जो प्रथम कक्षा में सर्वजनीन नामांकन के समीप पहुँच रहा है।

इन प्रशंसनीय प्रयासों से भी सन् 2005 में चार में से एक बच्चे ने पाँचवी कक्षा में पहुँचने से पहले ही विद्यालय छोड़ा है। अधिगम आकलन दिखाते हैं कि जो बच्चे विद्यालय में रह जाते हैं, वे साक्षरता गिनती के बुनियादी सिद्धांतों या अपने समग्र विकास के आवश्यक अतिरिक्त कौशल नहीं सीख पाते हैं। आइए, हम अपने देश में प्रारंभिक शिक्षा का आकलन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें।

egRoi.k rF; (Fast Facts)

fo|ky; l ckgj cPp (Out-of School Children) % विद्यालय से बाहर बच्चों की संख्या में गिरावट हुई है, यह सन् 2003 में 25 मिलियन से घटकर सन् 2008 के मध्यम में 8.1 मिलियन हुई। सबसे अधिक उल्लेखनीय सुधार बिहार, झारखंड, मणिपुर और छत्तीसगढ़ में हुआ है। घनी आबादी के राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में विद्यालय से बाहर बच्चों का प्रतिशत चिंता का कारण बना हुआ है।

lkekftd vrof'ku (Social Inclusion) % यद्यपि विद्यालय में सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के बच्चों के अनुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, परंतु लगातार अंतर बना रहा है। बालकों की तुलना में बालिकाओं का नामांकन अभी भी कम है। सन् 2005 में अनुसूचित जनजातियों (STs) का लिंग अंतर 12.6 बिन्दु था और अनुसूचित जातियों (SCs) का 16 बिन्दु था। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों का अभी विद्यालय के 8 वर्ष के अपने शिक्षा अधिकारों का कम ही सुलभ है। आठवीं कक्षा पूरा करने से पहले छोड़ने का राष्ट्रीय औसत 48.8 प्रतिशत की तुलना में अनुसूचित जनजातियों के बच्चों की विद्यालय छोड़ने (ड्राप आउट) की दर 62.9 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के बच्चों की 55.2 प्रतिशत है।

vè;kid : बच्चों को प्रति 30 छात्रों के लिए कम से कम एक अर्हता प्राप्त और प्रशिक्षित अध्यापक होने का अधिकार है। इस समय राष्ट्रीय औसत प्रति 34 छात्रों के लिए एक अध्यापक है परंतु झारखंड, मध्यप्रदेश और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में एक अध्यापक 60 से अधिक छात्रों को पढ़ाता है। इस अंतर को समाप्त करने के लिए लगभग 1.2 मिलियन अतिरिक्त अध्यापकों की भर्ती करने की आवश्यकता होगी। इस समय लगभग

पाँच में से एक प्राथमिक विद्यालय अध्यापक के पास गुणवत्ता अधिगम के लिए बच्चों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता नहीं है।

LoPNrk : भारत में 100 विद्यालयों में से केवल 84 में पेयजल की सुविधाएँ हैं। परंतु अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आधे विद्यालयों में यह सुविधाएँ नहीं है। भारत में 100 विद्यालयों में से 65 विद्यालयों में एक ही शौचालय है; परंतु अरुणाचल प्रदेश, असम, चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, उड़ीसा और राजस्थान में यह सुविधा चार विद्यालयों में से एक है। 100 विद्यालयों में से 54 विद्यालयों में बालिकाओं के अलग शौचालय हैं। असम, मेघालय, मणिपुर में औसतन 9 विद्यालयों में से केवल एक में पृथक शौचालय है और बिहार, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर, झारखंड तथा उड़ीसा में चार विद्यालयों में से एक विद्यालय में है।

x|.koÙkk % शिक्षा की गुणवत्ता अच्छे स्तर की नहीं है। अत्यधिक नामांकित विद्यालयों, अल्प अध्यापक योग्यता और वेतन तथा अपर्याप्त शिक्षण और अधिगम सामग्री समस्या को और भी बढ़ा देती है। अध्यापकों को औसतन 50 बच्चों की प्रति कक्षा से निपटना होता है। जबकि 70 से 100 बच्चों की संख्या भी रिकार्ड की गई है। बहुत से छात्र जिन्होंने अपनी शिक्षा पूरी कर ली है, अधिगम के बिना ऐसा कर लेते हैं, जो कि ठीक ढंग से पढ़ और लिख नहीं पाते हैं।

शिक्षा गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले अन्य कारक हैं:

- शिक्षा में निवेश का अभाव;
- खराब ढंग से निर्मित कक्षाकक्षों सहित निम्नमान की बुनियादी सुविधाएँ; और
- वे विद्यालय जो बालिकाओं, अशक्तता, संजातीय अल्पसंख्यकों, घूमन्तुओं या धार्मिक समूहों के व्यक्तियों की आवश्यकता पूरी नहीं करते हैं।

प्रतिदेश शिक्षा आँकड़े: उदाहरण के लिए नामांकन अनुपात, लिंग अंतर, शिक्षा गुणवत्ता सूचक, सरकार के बजट या सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में सार्वजनिक व्यय निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है: www.uis.unesco.org//Education,http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx और www.gapminder.org

ÁkjfHkd f'k{kk % vfèkdkj ;k fo'k"kkfèkdkj\

यह धारणा है कि प्रारंभिक शिक्षा मौलिक अधिकार है, सभी के द्वारा, कम से कम पूरे दिल से यह स्वीकार नहीं किया गया है। कुछ तो शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण को अपने स्वयं के बच्चों के अवसरों के लिए संकट के रूप में देखते हैं। उनके विचार में विद्यालयी प्रणाली की भूमिका "फिल्टरिंग प्रक्रिया" के रूप में कार्य करने की है, जो सबसे अच्छे और प्रतिभाशाली को चुनते हैं और उन्हें अपनी अंतःशक्ति प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यदि बोर्ड में बहुत अधिक बच्चे हो जाते हैं, उनकी संभावना, जो इस समय अच्छी विद्यालयी सुविधा का विशेष अधिकार उपयोग कर रहे हैं, संकटग्रस्त हो जाएगी।

वास्तव में, यह भावनाएँ खुले रूप में व्यक्त की जाती है। इसके बदले प्रवृत्ति खेल रूप में व्यक्त विद्यालयी प्रणाली की असमानताएँ तर्कसंगत बनाने की है। एक

आम युक्ति पीड़ितों पर दोषारोपण करना है। उदाहरण के लिए, गरीब माता–पिता को उनकी समस्त कठिनाइयों की अनदेखी कर अपने बच्चे को विद्यालय न भेजने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इस प्रकार के कथनों के वास्तविक जीवन के अन्य उदाहरण नीचे दिया गया है, जो हमारे अनुसंधान के दौरान मध्यवर्गों में सुना गया।

"इतने अधिक विद्यालय हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि विद्यालयों की कमी है।"

"उत्साह का अभाव – इतना सुस्त कि प्रदान किए गए, अवसरों का अच्छा उपयोग नहीं करते हैं।"

"बच्चों को शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सरकार क्यों लें?"

"हम कार्य करते हैं, हम करों का भुगतान करते हैं। प्रतिलाभ में हमें कुछ मिलना चाहिए।"

"यदि व्यक्ति अपनी बीड़ी (सिगरेट) पर खर्च कर सकता है, यदि व्यक्ति दारु खरीद कर सकता है तब मेरी राय में उसे अपने बच्चे की शिक्षा के लिए खर्च करने में सक्षम होना चाहिए।"

संसाधनों की बर्बादी में वे साक्षरता चाहते हैं सिर्फ इतना है कि वे बस पकड़ सकें।

सरकार ने प्राथमिक शिक्षा का संवर्धन करने के लिए उच्चतर शिक्षा के लिए खर्च घटा दी है। फिर भी यह सत्य है कि इनमें से बहुत लोग नहीं पढ़ सकें हैं।

''फिल्टरिंग प्रक्रिया'' के रूप में विद्यालय की संकल्पना का शिक्षा योजना पर दृढ़ प्रभाव है। उदाहरण के लिए, यह स्पष्ट करने में सहायता करता है। विकासशील विश्व स्तरीय उच्च शिक्षा की संस्थाओं (जैसे प्रबंधन संस्थानों और प्रौद्योगिकी संस्थानों) पर विशाल संसाधन क्यों व्यय किए जा रहे हैं जबकि हजारों प्राथमिक विद्यालय ब्लैकबोर्डों, पेयजल, शिक्षण विधियों के बिना चल रहा है और विद्यालय पाठ्यचर्चा भी चूहा–दौड़ के समान शिक्षा के इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं।

(lkr% प्रोब, 2000)

कई देश जिसमें सभी बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान अधिकार के रूप में है, इसे राज्य का उत्तरदायित्व के रूप में देखते हैं क्योंकि शिक्षा को देश के आर्थिक भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश के रूप में देखा जाता है और इसके अलावा अन्य कारकों के संयोजन में शिक्षा उस दिशा को निर्धारित कर सकता है जिसे देश अपनाएगा।

अलग–अलग देश, मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा लागू करने की दिशा में अपने पथ की भिन्न–भिन्न अवस्थाओं में हैं। वे क्या कारक हैं जो इस दिशा में आंदोलन आसान बनाते हैं? आइए, हम भारत सहित नौ देशों में संचालित अध्ययन के निष्कर्ष पढ़ें।

f'k{kk vfèkdkj lfuf'pr djuk

jkT; dh Áeq[k Hkfedk

वे क्या कारक हैं जिनके कुछ देशों ने सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने में अधिक बड़े परिणाम प्राप्त किए हैं? हाल ही के ;uLdk द्वारा संचालित भारत के केरल राज्य सहित नौ अन्य देशों के अध्ययन ने छः विस्तृत विषयों की पहचान की है।

jktuhfrd opuc)rk% *इस मामले में सरकार ने उच्चतम स्तर पर राजनीतिक प्राथमिकता से सर्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा की उपलब्धि की।*

foÙkh; opuc)rk% *राजनीतिक वचनबद्धता परिवर्तन अवधि के दौरान बुनियादी शिक्षा को वित्तीय आवंटन में प्रतिबिम्बित होता है। सन् 1950–70 की अवधि में कोस्टा रीका ने बुनियादी शिक्षा को आवंटित सार्वजनिक व्यय का भाग दुगुना किया। क्यूबा ने सन् 1970 के दशक के मध्य तक शिक्षा को आवंटित सकल घरेलू उत्पाद का भाग 3 प्रतिशत बढाया। जिम्बाबे ने भी 1980–88 की अवधि में वैसी ही वृद्धि प्राप्त की।*

lkoZtfud {ks= dh Áeq[k Hkwfedk : *जिन देशों ने बुनियादी शिक्षा में त्वरित परिवर्तन प्राप्त किया, उन्होंने निजी व्यवहार के बदले सार्वजनिक कार्रवाई द्वारा ऐसा किया है। दृढ़ मुक्त बाजार विचारधारा के बावजूद क्रांति के बाद क्यूबा में प्राथमिक स्तर पर कोई निजी प्रावधान नहीं था। दक्षिण कोरिया में निजी प्रदाता बुनियादी शिक्षा से अविद्यमान थे। सन् 1960 के दशक के मध्य तक कोस्टारीका में 90 प्रतिशत से अधिक प्राथमिक विद्यालय बच्चे सार्वजनिक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते थे।*

lkoZtfud foÙkh; lekurk% *सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा की दिशा में प्रगति की निर्णायक अवधियों के दौरान शिक्षा के लिए निवेश संसाधनों इस क्षेत्र में सकेन्द्रण हो गया था। सन् 1980 के दशक के मध्य में प्रत्येक विश्वविद्यालय, विद्यार्थी पर व्यय से प्राथमिक शिक्षा में प्रति विद्यार्थी पर सार्वजनिक व्यय का अनुपात क्यूबा में 1 : 7 था, इसकी तुलना में उपसहारा अफ्रीका में 1 : 33 का औसत था। जब तक दक्षिण कोरिया ने सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, उसने माध्यमिक शिक्षा में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए निजी क्षेत्र को अनुमति देकर प्राथमिक शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक आवंटित किया और छात्रों पर प्रभार से उच्चतर शिक्षा पर व्यय का बड़ा भाग वसूल किया।*

ifjokjksa ds fy, f'k{kk dk O;; de djuk% *परिवारों के लिए शिक्षा का व्यय घटाने के लिए प्रत्येक मामले में बढ़ा हुआ सार्वजनिक व्यय प्रयुक्त किया गया था। श्रीलंका में स्वतंत्रता के तुरंत बाद निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा लागू की गई थी, इसी प्रकार क्यूबा ने निःशुल्क शिक्षा को नागरिकता का अधिकार बनाया। बोटस्वाना और जिम्बावे में भी इसी प्रकार के कदम उठाए गए थे।*

O;kid ekuo lalkèku j.kuhfr;ksa esa f'k{kk lqèkkj dk lekdu% *शिक्षा सुधारों को ऐसी व्यापक रणनीतियों द्वारा समर्थन दिया गया था जिसने गरीबी कम की। उदाहरण के लिए जिम्बावे, क्यूबा, बोटस्वाना और कोस्टारीका में स्वास्थ्य सुधारों से बाल स्वास्थ्य और पोषण में सुधार हुआ, इससे शिक्षा सुधारों से लाभ लेने के लिए गरीब परिवारों की क्षमता बढ़ाई गई।*

शिक्षा के अधिकार पर विशेष संवक्ता के अनुसार, "प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क बनाने के लिए सरकार के दायित्व यद्यपि गलत ढंग से प्रायः राज्य की प्राथमिक शिक्षा के प्रावधानों से सम्बद्ध होती है। कुछ देशों से प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क बनाने के लिए राज्य के दायित्व प्राथमिक विद्यालयों की श्रेणी के लिए अनुदान द्वारा क्रियान्वित की गई है।" यह भी कहा गया –

राज्य का पहला दायित्व यह सुनिश्चित करने से सम्बन्धित है कि सभी बच्चों के लिए ऐसे प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध हैं, जिनके लिए काफी निवेश की आवश्यकता

है। चूँकि केवल राज्य ही निवेशक हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून भी अंतिम प्रयास के रूप में निवेश है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी विद्यालयी आयु के बच्चों के लिए प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है। यदि प्राथमिक विद्यालयों की भर्ती करने की क्षमता प्राथमिक विद्यालयों की संख्या से कम है, अनिवार्य शिक्षा पर कानूनी प्रावधानों को व्यवहार मूर्त रूप नहीं दिया जा सकेंगे और शिक्षा की सुलभता का अधिकार के बदले केवल भारत ही रह जाएगी।

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा के प्रावधान को भी शिक्षा के अधिकार का महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना गया है। निःशुल्क शिक्षा का प्रभावी प्रवर्तन की आवश्यकता का अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य अपने दायित्व से मुक्त हो सकते हैं।

lqyHkrk

राज्य का दूसरा दायित्व सुलभता से सम्बन्धित है। कम से कम सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है कि सभी समानता और निष्पक्षता के आधार पर विद्यमान शिक्षा संस्थाओं में सुलभता द्वारा शिक्षा का अधिकार प्राप्त करते हैं। (lzkr% *केवीन, 1999*)

ckèk Á'u 6-1

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

1) शिक्षा के क्या प्रयोजन हैं? मानव अधिकार के रूप में शिक्षा महत्वपूर्ण क्यों है?

....

....

....

....

2) सर्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के संदर्भ में "राजनीतिक इच्छा" या "राजनीतिक वचनबद्धता" का क्या अभिप्राय है?

....

....

....

....

6-5 f'k{kk dk vfèkdkj vfèkfu;e % bfrgkl vkSj mRifÙk

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (Right to Education – RTE) अधिनियम, 2009 भारतीय बच्चों के लिए एक ऐतिहासिक या युगांतरकारी घटना है। भारतीय इतिहास में प्रथम बार राज्य द्वारा परिवार एवं समुदायों की सहायता से बच्चों को गुणवत्ता युक्त प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार के प्रति आश्वासित किया गया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल, 2010 से लागू हुआ। इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के मध्य की आयु के सभी बच्चों को उनके समीपवर्ती विद्यालय/प्रतिवास में समुचित आयु की कक्षा में आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी।

अधिनियम के अनुसार

शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 3(1)

6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को अपने समीपवर्ती विद्यालय में निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का अधिकार है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 के अंतर्गत शिक्षा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का एक भाग है जो संविधान के चौथे अध्याय का अंश है। किन्तु चौथे अध्याय में सिद्धांत कानून द्वारा बाध्यकारी नहीं है। 6 से 14 वर्ष के मध्य की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार का हकदार बनाकर संविधान के अध्याय 3 में अनुच्छेद 21 के रूप में रखकर भारतीय इतिहास में पहली बार हम लोगों ने इस अधिकार को बाध्यकारी बना दिया है।

बच्चों के पंजीकरण के साथ—ही—साथ उनकी उपस्थिति और 8 वर्ष के विद्यालयीय शिक्षा को सुनिश्चित रखने का उत्तरदायित्व राज्य का होगा। किसी भी प्रकार की संदिग्धता जो बुनियादी स्तर पर अधिनियम के कार्यान्वयन में बाधा डाल सकती है, को दूर करने के उद्देश्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के लिए स्पष्ट उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कोई भी बच्चा कागजात की वजह से नामांकन से वंचित नहीं किया जाएगा, यदि दाखिला चक्र की समाप्ति हो गई हो तो भी कोई बच्चा बिना प्रवेश के लौटाया नहीं जाएगा और किसी भी बच्चे को नामांकन हेतु परीक्षण देने को नहीं कहा जाएगा। अशक्त या विकलांग बच्चे भी मुख्यधारा वाले विद्यालयों में शिक्षित किए जाएँगे।

1 अप्रैल, 2010 को जब अधिनियम लागू हुआ तब शिक्षा को प्रत्येक बच्चे का मूल अधिकार बना कर भारत विश्व के 135 देशों के समूह में सम्मिलित हो गया।

प्रस्तुत अधिनियम का मूल भारतीय संविधान का अनुच्छेद 45 है। लेकिन विशेष रूप से संवैधानिक संशोधन जिसके द्वारा अनुच्छेद 21क को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, के तहत शिक्षा को एक मूल अधिकार बनाना इसका आधार है। इस संशोधन ने इसके कार्यान्वयन की विधि का वर्णन करने के लिए विधि निर्माण की आवश्यकता पर बल दिया जिसने शिक्षा विधेयक (Education Bill) के पृथक प्रारूप को तैयार करना अनिवार्य बना दिया। विधेयक का प्रथम प्रारूप वर्ष 2005 में तैयार हुआ। निजी विद्यालयों में अशक्त बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के अधिदेशात्मक प्रावधानों के कारण इसकी बहुत आलोचना हुई। केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (Central Advisory Board of Education - CABE) जिसने विधेयक का प्रारूप तैयार किया, ने पूर्वापेक्षित इस प्रावधान को लोकतांत्रिक एवं समतावादी समाज की रचना के लिए सार्थक रूप से ग्रहण किया। आरंभ में भारतीय विधि आयोग ने अशक्त बच्चों के लिए निजी विद्यालयों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रस्तावित किया।

यह विधेयक मंत्रिमंडल के द्वारा 2 जुलाई 2009 को स्वीकृत हुआ। राज्य सभा ने विधेयक को 20 जुलाई 2009 को और लोक सभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और यह बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम के कानून के रूप में 3 सितम्बर 2009 को अधिसूचित हुआ। 1 अप्रैल 2010 को यह कानून जम्मू–कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू हुआ। भारत के प्रधानमंत्री के इस अभिव्यक्ति के द्वारा कि *"हम लोग सामाजिक कोटि और लिंग का ध्यान किए बिना सभी बच्चों तक शिक्षा के आगमन को सुनिश्चित रखने के लिए वचनबद्ध हैं, शिक्षा जो उन्हें कौशल, ज्ञान, मूल्य और अभिवृत्ति या व्यवहार अर्जित करने में समर्थ बनाता है और जो भारत का उत्तरदायी और क्रियाशील नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है," शिक्षा का अधिकार लागू किया गया।*

Lora=rk&iwoZ vof/k esa f'k{kk dk vf/kdkj dh fn'kk esa Á;kl

1870% *ब्रिटेन में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम पारित हुआ।*

1872% *भारतीय शिक्षा आयोग : भारतीय नेताओं ने सामूहिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा अधिनियमों की माँग की।*

1883% *बड़ौदा के महाराजा ने अमरेली ताल्लुक में लड़कों के लिए अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ की।*

1906% *गोपाल कृष्ण गोखले ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रारंभ करने के लिए इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से माँग की।*

1910% *गोखले प्राइवेट मेम्बर बिल प्रस्तावित करते हैं (संसाधनों की कमी बताते हुए अस्वीकार किया गया)।*

1917% *विठ्ठलभाई पटेल विधेयक पारित करने में सफल हुए। अनिवार्य शिक्षा पर (जो पटेल अधिनियम में से जाना जाता था) पहला कानून पारित हुआ।*

1918% *ब्रिटिश भारत के प्रत्येक प्रांत में उनकी संविधि पुस्तक में अनिवार्य शिक्षा अधिनियम जुड़ा।*

1930% *बेहतर गुणवत्ता (परिमात्रा पर कम से कम) के लिए हार्टॉग समिति की सिफारिश ने प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को कम किया।*

परंतु इनमें से अधिकांश पहले गंभीरता से क्रियान्वित नहीं की गई थी। संसाधनों का अभाव और प्रवर्तन मुख्य कारण थे। वर्षों के दौरान स्थिति अधिक खराब हुई जब सन् 1937 में महात्मा गाँधी ने सर्वजनीन शिक्षा के लिए आंदोलन का आह्वान किया। सर्वजनीन शिक्षा के लिए पर्याप्त वित्त व्यवस्था के लिए उसका तर्क इस अनुक्रिया से पूरा किया गया कि, यदि आवश्यक हुआ तो यह तरीका अपनाया जा सकता है कि शराब की बिक्री की प्राप्त राजस्व का उपयोग करना था। इसका अभिप्राय है कि उसे या तो मद्यनिषेध पर अपना रुख त्यागना होगा या राज्य की सहायता से सर्वजनीन शिक्षा के लिए उसका तर्क, जिसे उसने स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया, "नए सुधारों का क्रूरतम विडम्बना इस तथ्य में निहित है कि हमारे पास कुछ नहीं है, परंतु हमारे बच्चों को शिक्षा देने के लिए शराब राजस्व का उपयोग करना था (हरिजन 5, 222)। स्वपोषित शिक्षा का प्रस्ताव देकर उसने समाधान किया जिसे शैक्षिक पहले कहा गया।

Lor=rk&dk ckn e vofèk e f'k{kk dk vfèkdkj

शिक्षा का अधिकार (स्वतंत्रता के बाद) अधिनियम के मार्ग में अनुक्रमिक प्रगति नीचे दी गई है।

1946% *संविधान सभा ने अपना कार्य आरंभ किया।*

1947% *कम व्यय पर दस वर्षों के अंदर सर्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के अर्थोपाय* (*ways and means*) *ढूँढ़ने के लिए अर्थोपाय (खेर) समिति स्थापित की गई।*

1947: *मौलिक अधिकारों पर संविधान सभा की उपसमिति ने मौलिक अधिकारों की सूची में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा रखा : "खंड 23 – प्रत्येक नागरिक निःशुल्क और प्राथमिक शिक्षा के अधिकार के रूप में हकदार है और सभी बच्चों को जब तक वे चौदह वर्ष की आयु के नहीं होते हैं, इस संविधान के लागू होने से दस वर्ष के अवधि के अंदर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का कर्त्तव्य होगा।"*

1947 ¼vÁSy½ % *संविधान सभा की सलाहकार समिति ने निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में (व्यय के कारण से) अस्वीकार किया। खंड को "असमर्थनीय मौलिक अधिकारों (बाद में राजनीति के निदेशक तत्व) के रूप में उल्लिखित में भेज दिया।*

1949% *संविधान सभा में बहस ने अनुच्छेद 36 की पहली पंक्ति, "प्रत्येक नागरिक निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा के लिए अधिकार के रूप में हकदार है और यह राज्य का कर्त्तव्य होगा", हटा दी गई और उसके स्थान पर "राज्य का प्रयास होगा" रखा गया। डॉ. अम्बेडकर ने उल्लेख किया कि सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा को 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए श्रमिक समाप्त करना आवश्यक है परंतु यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया।*

1950% *अंत में राज्य नीति के निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 45 को स्वीकार किया गया। "इस संविधान के प्रारंभ से दस वर्षों की अवधि के अंदर सभी बच्चों को जब तक 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर लिया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। इस प्रावधान ने समर्थनीय अधिकार नहीं दिया। अंतिम अनुच्छेद 45 की अपर्याप्तता के बारे में के.टी. शाह ने* vÁSy 1947 *में अपनी असहमति टिप्पणी द्वारा पूर्वानुमान व्यक्त किया था। "एक बार इस किस्म के अधिकार की अस्पष्ट घोषणा की जाती है, इसके उत्तरदायी इसको प्रभावी करने के लिए कोई न कोई तरीका ढूँढ़ लेते हैं। यदि उन पर ऐसा कोई दायित्व नहीं रखा जाता है, के मामले में अपनी निष्क्रियता को उचित ठहराने के लिए बहाना करने का प्रयास करते हैं।"*

fnlEcj 2002 *में 86वें संविधान संशोधन के बाद निम्नलिखित परिवर्धन हुए:*

2003% *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा विधेयक, 2003।*

2004% *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा विधेयक, 2004।*

2005% *शिक्षा का अधिकार विधेयक, जून, 2005 (CABE विधेयक)।*

2005% *शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2005 (अगस्त)।*

2006% केन्द्रीय विधायन अलग रखा गया। राज्यों को मॉडल शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2006 के आधार पर अपने विधेयक स्वयं बनाने का निर्देश दिया गया।

2008&09% केन्द्रीय विधायन पुनःस्थापित किया गया। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बच्चों का अधिकार विधेयक प्रस्तुत किया गया और राज्य सभा तथा लोकसभा में यह विधेयक पारित हुआ।

2009% अगस्त 2009 में राष्ट्रपति की स्वीकृति।

2010: अधिनियम की अधिसूचना और 86वाँ संविधान संशोधन भारत के राजपत्र में 19 फरवरी 2010 को जारी किया गया। उसमें यह उल्लेख किया गया कि राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद आठवें महीने अर्थात् 1 अप्रैल 2010 से क्रियान्वयन प्रारंभ होगा।

यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण है चूँकि इसे लक्ष्य तक लाने में सौ वर्ष लगे, जहाँ विधायन का यह अपूर्ण भाग भी वास्तविकता में लाया जा सकता है। यदि हम सन् 1857 के युद्ध को भारत की स्वतंत्रता संग्राम के लिए माईल पोस्ट (mile post) के रूप में लेते हैं तो इसने वास्तविकता लेने के लिए सन् 1947 तक 90 वर्ष लिए एवं शिक्षा का अधिकार के लिए संघर्ष से एक दशक अधिक ली। यद्यपि स्वतंत्र और सम्प्रभुता संपन्न गणतंत्र अर्थात भारत के संविधान ने अधिदेश किया कि 10 वर्ष के अंदर शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण किया जाना था, परंतु शिक्षा के अधिकार को वास्तविकता में 62 वर्ष लगे। उच्चतम न्यायालय के प्रभावी निर्णय के बाद भी शिक्षण के लिए आंदोलना उतना अधिक सुदृढ़ नहीं हो सका जितना इसे होना चाहिए था।

सरकार के अनुमानों के अनुसार सुसंगत आयु वर्ग के लगभग 220 मिलियन बच्चे हैं जिनमें से 4–6 प्रतिशत या लगभग 9.2 मिलियन विद्यालय से बाहर हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि, अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अगले पाँच वर्षों में 1.71 लाख करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। शिक्षा क्षेत्र के लिए 24 प्रतिशत वृद्धि 2011–12 के केन्द्रीय बजट में आवंटित की गई है। 21,000 करोड़ रुपये सर्व शिक्षा अभियान के लिए आवंटित किए गए हैं जो 40 प्रतिशत की वृद्धि है।

ckèk Á'u 6-2

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

2) स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर क्या है?

....

....

....

....

....

6-5-1 vfèkdkj {k=

जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष की आयु में पहली अप्रैल 2010 से कक्षा I–VIII में पढ़ने वाले बच्चों का मौलिक अधिकार है, अधिनियम जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू किया गया है। संघ राज्य क्षेत्रों सहित भारत के सभी राज्य इस अधिनियम के अधीन हैं। सभी सरकारी, निजी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय इस अधिनियम में सम्मिलित किए गए हैं। भारत के संविधान के अनुसार शिक्षा समवर्ती विषय में होने के कारण केन्द्रीय और राज्य सरकारें दोनों शिक्षा के लिए उत्तरदायी हैं। इस अधिनियम "समुचित सरकार" का सम्बन्ध या तो इन सरकारों से है या संघ राज्य क्षेत्र की सरकार से है।

अधिनियम सभी विद्यालयों, सभी सरकारी और निजी विद्यालयों पर लागू होता है परंतु कुछ विशिष्ट प्रावधान हैं जो केवल सरकारी विद्यालयों पर लागू होते हैं और कुछ जो निजी विद्यालयों पर लागू होते हैं। विनिर्दिष्ट श्रेणी के विद्यालयों जिन्हें कुछ प्रावधानों से छूट है, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) केन्द्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल; और

ii) कोई अन्य विद्यालय जिसका पृथक स्वरूप हो जिसे उपयुक्त सरकार द्वारा अधिसूचना से विनिर्दिष्ट किया जा सकता है।

6-6 vfèkfu;e d s Ákoèkkuk s

नया कानून बच्चों के परिप्रेक्ष्य से देखा जाना चाहिए। यह समर्थनीय कानूनी ढाँचा प्रदान करता है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पर्याप्त गुणवत्ता, समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा के हकदार बनाता है। यह बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरा करने का अधिकार देता है। यह बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है जो भय, तनाव और चिंता से मुक्त हो। अधिनियम में कई प्रावधान हैं, उदाहरण के लिए जिनमें शारीरिक दंड निषेध, निरोध और निष्कासन जिसे यह सुनिश्चित करने के लिए आगे रखना आवश्यक है कि, हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में ऐसी प्रणाली की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे राज्य सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करेगा (राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986/92)। परंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू यह सुनिश्चित करना है कि, पाठ्यविवरण सुधार के स्पष्ट प्रभावों से शिक्षण अधिनियम प्रारंभिक तनाव और चिंता से मुक्त है। परीक्षण और ग्रेड निर्धारण प्रणालियाँ बच्चों को अपना अधिगम गहन और व्यापक बनाने के लिए प्रेरित करने की प्रारंभिक की समीक्षा करना आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अध्यापकों का उत्तरदायित्व भी निश्चित करता है। अध्यापक की जवाबदेही प्रणालियों को यह सुनिश्चित करना आवश्यकता होगा कि बच्चे सीख रहे हैं और ऐसे परिवेश में उनके अधिगम का अधिकार जो तनाव और चिंता से मुक्त है, उसका उल्लंघन नहीं किया जाता है।

6-6-1 f'k{kk dk vfèkdkj ,d utj e s

cPpk s d s vfèkdkj

- प्रतिवेशी विद्यालय में प्रारंभिक शिक्षा का निःशुल्क, अनिवार्य प्रवेश, उपस्थिति और पूर्ति 6 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। (fu%'kqYd का अभिप्रायः राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा की समाप्ति है, जो बच्चे को विद्यालय के आठ वर्ष पूरा करने से रोकता है और vfuok;Z का अभिप्राय राज्य

सुनिश्चित करता है कि प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से कोई बच्चा नहीं छूटा है। बच्चों को विद्यालय भेजना माता–पिता का भी उत्तरदायित्व है।)

- अनामांकित/विद्यालय छोड़ चुके बच्चों को विशेष प्रशिक्षण की अवधि के बाद आयु के उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाए।
- कोई भी बच्चा (आयु वर्ग 6 से 14 वर्ष तक के अनुसार) कक्षा VIII तक अनुत्तीर्ण नहीं किया जाएगा या विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।

fo|ky; vkj d{kkd{k e cPp d vfèkdkjk dh j{kk djuk

- अध्यापकों और विद्यालय प्रमुख का दायित्व है।
- उपयुक्त कार्यक्रमों के माध्यम से नई संस्कृति अपनाने के लिए उन्हें तैयार करना बहुत बड़ी चुनौती है।
- शारीरिक दंड प्रतिबंधित करना, कोई निरोध नीति नहीं, सतत तथा व्यापक मूल्यांकन, विद्यालयों तथा कक्षाकक्षों को वास्तव में समावेशी बनाना, आदि।
- गुणवत्ता शिक्षा द्वारा पाठ्यविवरण के अनुसार अधिगम के लिए बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करना।
- समस्याएँ बहुत हैं और लगभग 1.3 मिलियन विद्यालयों तथा 6 मिलियन अध्यापकों से अति विशाल कार्य है – ग़ैर–सरकारी संगठनों का योगदान हो सकता है परंतु यह पर्याप्त नहीं हो सकता है।

fo|ky;

- विनिर्दिष्ट मानक और स्तर सभी विद्यालय पर अनुप्रयोज्य हैं।
  - न्यूनतम बुनियादी सुविधाएँ।
  - 1 : 30 (कक्षा I - V) और 1 : 34 (कक्षा VI - VIII) का अध्यापक–छात्र अनुपात।
  - विद्यालय दिवस (200 – 220) और कुल शिक्षण घंटे (800 – 1000) तदनुसार कक्षा I-V और VI - VIII के लिए।
  - अध्यापकों के लिए कार्य दिवस – प्रत्येक विद्यालय में अध्यापकों के लिए सप्ताह में 45 कार्य घंटे का निरूपण।

vè;kid

- अध्यापकों की नियुक्ति के लिए अर्हता राष्ट्रीय स्तर पर।
- अध्यापकों की शैक्षिक उत्तरदायित्व विनिर्दिष्ट।
- पूर्णकालिक अध्यापकों द्वारा कोई निजी ट्यूशन नहीं।

lenk; vkj fo|ky;k dk vfèkd lehi ykukA

- माता–पिता, अध्यापक और निर्वाचित प्रतिनिधियों की विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee - SMC) सहभागिता सुनिश्चित करनाः

- जिसमें विद्यालय में बच्चों के माता–पिता में से तीन–चौथाई सदस्य सुनिश्चित करना; और
- कमजोर और सुविधा वंचित वर्गों के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व देना।

➢ स्थानीय प्राधिकरण – पंचायती राज प्रणाली को मुख्य उत्तरदायित्व आंवटित करता है।

- बच्चों के अधिकारों और हकदारियों के वितरण की मानीटरिंग सक्रियता से करना।

vfèkdkjksa dk laj{k.k

➢ अधिनियम के क्रियान्वयन की स्वतंत्र मानीटरिंग राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of Child Rights - NCPCR) को सौंपी गई है और इसके मुख्य उत्तरदायित्व हैं:

- इस अधिनियम के अधीन अधिकारों के संरक्षण का परीक्षण और समीक्षा करना, और प्रभावशाली क्रियान्वयन के लिए उपायों की समीक्षा करना;
- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के लिए बाल अधिकारों से सम्बन्धित शिकायतों की जाँच करना; और
- क्रियान्वयन एवं समीक्षा की प्रस्थिति की आवधिक सामाजिक लेखा परीक्षा संचालित करना।

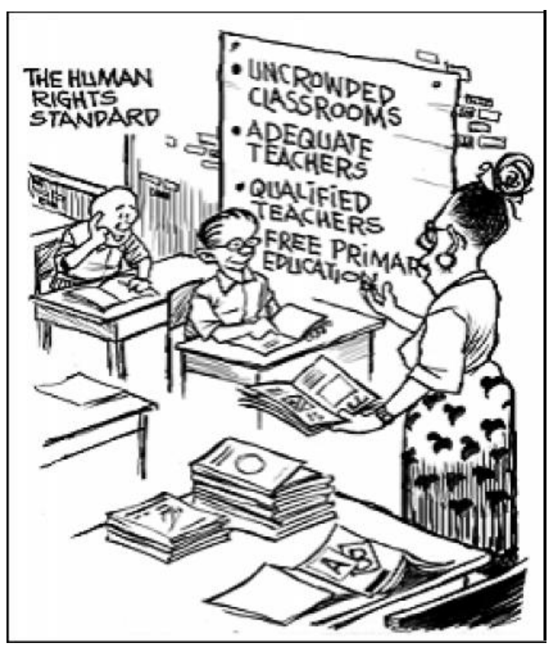

(lzksr% एम्निस्टी इंटरनेशनल, 2012)

6-6-2 eq[; Ákoèkku

1) प्राथमिक शिक्षा के पूरी होने तक समीपवर्ती विद्यालय में बच्चों को fu%'kqYd एवं vfuok;Z शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार।

2) यह स्पष्ट करता है कि Þvfuok;Z f'k{kkÞ का अर्थ निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराने हेतु समुचित सरकार बाध्य हो जाना है और यह 6 से 14 वर्ष के मध्य की

आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से नामांकन, उपस्थिति और प्राथमिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना है। ^e¶r^ का अर्थ है कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के शुल्क या परिव्यय या लागत को चुकाने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, जो उसे प्राथमिक शिक्षा को पूर्ण करने से रोक सकता है।

3) यह नामांकन रहित बच्चों को उनकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में नामांकन का प्रावधान करता है।

4) यह बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने में समुचित सरकार, स्थानीय अधिकारी एवं माता–पिता के dÙkO; ,o mÙkjnkf;Ro को विनिर्दिष्ट करता है और केन्द्र एवं राज्य सरकारों के मध्य वित्तीय एवं अन्य उत्तरदायित्वों की सहभागिता करता है।

5) यह अन्य बातों के साथ–साथ, Nk=&vè;kid vuikr (Pupil-Teacher Ratio-PTR), भवन एवं बुनियादी संरचना, विद्यालय कार्य दिवसों, अध्यापकों के कार्यावधि से संबंधित Áfrekuk ,o vkn'kk का भी निर्धारण करता है।

6) यह अध्यापकों के food'khy foLrkj (rational deployment) को बताता है कि यह सुनिश्चित करें कि विनिर्दिष्ट छात्र–अध्यापक अनुपात को प्रत्येक विद्यालय ने कायम रखा है, ना तो सिर्फ औसत रूप में राज्य, जिला या खंड ने। इस प्रकार यह सुनिश्चित करता है कि अध्यापकों की नियुक्ति में व्यावहारिक रूप से शहरी ग्रामीण असंतुलन नहीं है। 10 वर्षीय जनगणना, स्थानीय अधिकारियों, राज्य विधानमंडलों एवं संसद चुनावों और महाविपदा में राहत कार्यों को छोड़कर यह अध्यापकों के अशैक्षणिक कार्यों के विस्तार को रोकता भी है।

7) यह समुचित रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति का प्रावधान करता है यथा–अपेक्षित प्रशिक्षण और शैक्षणिक योग्यता से युक्त अध्यापक।

8) यह 6 से 14 वर्ष के मध्य की आयु के बच्चों के लिए निषेध करता हैः (i) शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न, (ii) प्रवेश की प्रक्रिया की जाँच, (iii) प्रति व्यक्ति शुल्क, (iv) अध्यापकों के द्वारा निजी अनुशिक्षण, (v) मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय का संचालन।

9) यह निम्नलिखित दंडों अथवा जुर्मानों का प्रावधान करता हैः

   क) प्रति व्यक्ति शुल्क के अभियोग हेतु – लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क का 10 गुणा आर्थिक दंड;

   ख) नामांकन के दौरान जाँच (screening) करने पर – 25,000 रुपए पहले नियम उल्लंघन के लिए एवं 50,000 रुपए परिवर्ती प्रत्येक बार नियम उल्लंघन के लिए; और

   ग) मान्यता प्राप्त किए बिना विद्यालय संचालित करने पर एक लाख तक का आर्थिक दंड और नियम उल्लंघन के मामले में 10,000 प्रति दिन (जब से उल्लंघन निरंतर चल रहा हो)।

10) यह संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों के सामंजस्य सहित पाठ्यक्रम विकास का प्रावधान करता है जिसमें बच्चों के साथ मित्रतापूर्ण एवं बाल केन्द्रित अधिगम प्रणाली के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास, बच्चों के ज्ञान, संभावी और योग्यता में वृद्धि तथा बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता से मुक्त रहने को सुनिश्चित करता है।

11) यह राष्ट्रीय एवं राज्य आयोगों द्वारा, जिनके पास दीवानी अदालत का अधिकार होगा, बच्चों के अधिकार की सुरक्षा के लिए शिकायतों में सुधार और बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार की सुरक्षा और संचालन का प्रावधान करता है।

12) सभी निजी विद्यालयों को समीपस्थ अशक्त समूहों के 25 प्रतिशत बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए नामांकन करना है। यदि रुढ़िवादी 1 कि.मी. के घेरे में संख्या की पूर्ति नहीं हो सकी तो इसे बढ़ाया जा सकता है – प्रत्येक वर्ष उस कक्षा में जिसमें उन्होंने नए बच्चों का प्रवेश कराया गया हो।

उपर्युक्त प्रावधानों के अतिरिक्त अधिनियम निम्नांकित गुणात्मक मानकों की भी गारंटी देता है:

- प्राथमिक कक्षा में छात्र–अध्यापक अनुपात 30:1 (कक्षा I-V) एवं प्रारंभिक कक्षा में 35:1 (कक्षा VI-VIII) एवं प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे के आदेशात्मक समय रहित और प्रति वर्ष न्यूनतम 200 कार्य दिवस;
- भवन (हर मौसम में उपयुक्त बंधन रहित प्रवेश, घेराबंद दीवार, प्रत्येक अध्यापक के लिए एक कक्षा, प्रधानाध्यापक के लिए पृथक कमरा, पृथक शौचालय, सुरक्षित पेय जल, मध्याह्न भोजन हेतु रसोईघर और खेल का मैदान);
- शिक्षण–अधिगम सामग्री;
- पुस्तकालय; और
- मनोरंजन एवं खेलकूद के साधन।

cky&dsfUær vfèkxe

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एन.सी.एफ., 2005) के अनुसार बाल केन्द्रित शिक्षाशास्त्र का अभिप्राय बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज और उनकी सक्रिय सहभागिता को प्रमुखता देना है। इस प्रकार के शिक्षाशास्त्र के लिए हमें बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास और रुचियों को ध्यान में रखते हुए अधिगम की योजना बनाना आवश्यक है। निर्माणवादी अध्येता उसे दी गई सामग्रियों/क्रियाकलापों (अनुभव) के आधार पर विद्यमान विचारों से नए विचार जोड़कर अपने स्वयं के ज्ञान निर्माण सक्रियता से करता है (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, (NCF) *2005, पृ. 17)।*

निर्माणवादी कक्षाकक्ष में अध्यापक से छात्रों की ओर किरण बिन्दु की प्रवृत्ति अंतरिति होती है। कक्षाकक्ष अब ऐसा स्थान नहीं रहता है जहाँ अध्यापक ("विशेषज्ञ") ज्ञान निष्क्रिय छात्रों में उढ़ेलता हो जो रिक्त बर्तनों की भाँति भरे जाने की प्रतीक्षा करते हैं। इस निर्माणवादी कक्षाकक्ष मॉडल में छात्रों को अपनी ही अधिगम की प्रक्रिया में अंतर्निहित होने के लिए प्रेरित किया जाता है।

निर्माणवादी कक्षाकक्ष में अध्यापक और छात्र दोनों शिक्षा का गतिशील, विश्व का सदा परिवर्तनशील दृश्य जिसमें वे रहते हैं और सफलतापूर्वक विस्तार करने तथा खोजने की योग्यता के रूप में सोचते हैं।

इस परिप्रेक्ष्य की मुख्य धारणाओं में शामिल हैं:

- *छात्र सामान्यतः क्या विश्वास करता है, सही है या गलत यह महत्व है।*
- *वैसा ही अधिगम अनुभव होने के बावजूद, प्रत्येक बच्चे के आधार पर उन्हें समझने और व्यक्तिगत अभिप्राय पर उनके अधिगम होंगे।*
- *समझ पर अर्थ निर्माण करना सक्रिय और सतत प्रक्रिया है।*
- *अधिगम में कुछ संकल्पनात्मक परिवर्तन अंतर्निहित हो सकते हैं।*
- *जब छात्र नया अर्थ निर्माण करते हैं, वे इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं परंतु इसे अस्थायी स्वीकृति या अस्वीकृति हो सकते हैं।*
- *अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है, निष्क्रिय नहीं और यह छात्रों पर अधिगम करने के उत्तरदायित्व पर निर्भर करता है।*

निर्माणवादी कक्षाकक्ष में मुख्य कार्यकलाप समस्याएँ हल करना है। छात्र प्रश्न पूछने के लिए जाँच–पड़ताल विधियाँ प्रयोग करते हैं, तथा शीर्षक खोजने और समाधान तथा उत्तर ज्ञात करने के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों का प्रयोग करते हैं। जैसे ही छात्र शीर्षक खोजते हैं, वे निष्कर्ष निकालते हैं और खोज जारी रहती है। जैसे–जैसे खोज जारी रहती है, वे उन निष्कर्षों पर पुनः पहुँचते हैं। प्रश्नों की खोज अधिक प्रश्नों को उत्पन्न करती है।

vè;kid dh Hkfedk

निर्माणवादी अध्यापक "Sage of the Stage" की भूमिका नहीं लेते हैं बल्कि छात्रों को उनकी वर्तमान की ज्ञान की पर्याप्तता की परीक्षा करने के लिए अवसर प्रदान करते हुए "Guide of the side" के रूप में कार्य करते हैं।

fl)kr

- *अध्यापक को उस ज्ञान और अनुभवों पर विचार करना चाहिए जिसे छात्र कक्षा में लाते हैं।*
- *अध्येता सक्रिय पूछताछ की प्रक्रिया के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं।*
- *आवश्यक संसाधन प्रदान कर खोज आसान बनाई जा सकती है।*
- *ज्ञान सक्रिय रूप से निर्मित किया जाता है और अधिगम सक्रिय खोज की प्रक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।*
- *नए और पुराने ज्ञान के अपनाने से सहायता प्रदान करता है।*
- *छात्र की पूछताछ के अनुकूल विकास की अनुमति देने के लिए अधिगम कार्यक्रम पर्याप्त लचीले होने चाहिए।*
- *उसके व्याख्यात्मक स्वरूप होने के कारण प्रत्येक छात्र जानकारी की भिन्न–भिन्न तरीकों में व्याख्या करेंगें।*

- *ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करना जहाँ छात्र प्रश्न करने में सुरक्षित अनुभव करें और अपनी स्वयं की प्रक्रिया पर प्रतिबिम्बित करें।*
- *वास्तविक विश्व, दृष्टांत आधारित अधिगम वातावरण के माध्यम से अधिगम प्रासंगिक बनाने के लिए प्रामाणिक कार्य प्रस्तुत करना।*
- *ज्ञान निर्माण करने में सहयोगशील सहायता न कि प्रतिस्पर्धात्मक।*
- *अंतःआत्मपरकता के माध्यम से विकास प्रोत्साहित करना।*
- *सही समय पर और सही स्तर पर रूपरेखा प्रदान करना।*
- *एक दूसरे से सीखने के लिए अधिक विशेषज्ञ तथा कम विशेषज्ञ सहभागियों के लिए अवसर प्रदान करना।*

Nk= dh Hkfedk

- *निर्माणवादी अधिगम वातावरण के अंदर प्रत्याशा यह है कि, छात्र उसमें अधिक सक्रिय भूमिका निभाता है और अपने स्वयं के अधिगम में अधिक उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।*
- *छात्र की भूमिका अपने स्वयं की शिक्षा में सक्रिय रूप से सहभागिता करना है।*
- *छात्रों को समायोजित करना है और अपने वर्तमान ज्ञान के साथ नए ज्ञान को उसका आत्मसात करना है।*
- *अपने स्वयं की अधिगम प्रक्रिया नियंत्रित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू अपने अनुभवों पर प्रतिबिम्बित करना है।*
- *छात्र पूर्वकल्पित धारणाओं के साथ अपना अध्ययन प्रारंभ करते हैं।*
- *छात्र अपने स्थापित विचारों को त्यागने के लिए बहुत अनिच्छुक होते हैं और उस नए ज्ञान को अस्वीकार कर सकता है जो उसके पूर्व ज्ञान को चुनौती देता है।*
- *छात्र उन कारणों से अविज्ञ नहीं हो सकते हैं जिन्हें वे बहुत दृढ़ता से स्वीकार करते हैं।*
- *अध्येता को प्रासंगिक क्रियाकलापों द्वारा विचारों, कौशल और जानकारी का प्रयोग और परीक्षण करना आवश्यक है।*
- *छात्रों को जानना चाहिए कि अपनी सोच/अधिगम शैली कैसे अधिगम या परिवर्तन करते हैं।*
- *ज्ञान इतनी अधिक सामुदायिक आधारित होने के कारण, विद्यार्थियों को भिन्न–भिन्न समुदायों का ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए।*
- *अधिगम करने के लिए छात्रों को नए तरीके में वस्तुएँ देखने के लिए भिन्न–भिन्न "लैन्स" प्राप्त करने की आवश्यकता है।*
- *अध्येता को समीपस्थ विकास क्षेत्र (ZPD) के माध्यम से मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है।*

किशोर महादेवैया, कक्षा VII का छात्र, अपने आदर्श विद्यालय का वर्णन कर रहा है। "विद्यालय बहुत समीप और साफसुथरा होना चाहिए। प्रत्येक कक्षा में शिक्षण और अधिगम तथा खेलकूद सामग्री तथा अर्हताप्राप्त अध्यापक होने चाहिए तथा हमें अपने घरों से लाने के लिए गाड़ी होनी चाहिए।" जैसे ही वह बोलता है, आगे की ओर झुकता है, उसकी आँखें चौड़ी हो जाती है, जैसे कि वह उस स्थान को प्रत्यक्ष रूप से देख रहा है, जिसकी कल्पना करता है। "मूलतः उन्हें विद्यालय में सभी सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिए और प्रत्येक कक्षा का एक कमरा और प्रत्येक विषय के लिए अध्यापक होना चाहिए। प्रत्येक बच्चा के पास एक कम्प्यूटर होना चाहिए।"

बन्निकूप्पी ग्राम पंचायत में एक छोटा शहर रामनगर की धूंधभरी सुबह है, यह अपने रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तीन कमरों के मकाने के फर्श में बिछे हुए धारीदार हरे कालीन में तथा खंड चट्टानी भूदृश्य दर्जनों बच्चे पालथी मारकर किशोर के चारों तरफ बैठते हैं, यह यातायात की चहल–पहल से थोड़ी दूर है। ये बच्चे किशोर के विचारों से सहमत हैं कि उसके स्वप्नों का विद्यालय हो सकता है – वास्तव में इन छात्रों ने अपने शैक्षिक स्वप्नों को वास्तविकता में बदलना उनका मिशन है।

किशोर अल्प समय के लिए मकल कबालू समिति, मकसा के पदाधिकारियों का अध्यक्ष है। अंग्रेजी में वे अपने आपको शिक्षा का अधिकार के प्रभावकारी क्रियान्वयन के लिए "बच्चों की सतर्कता समिति" कहते हैं। उस सरकारी विद्यालय के छात्र जिनमें सभी अपने साथियों द्वारा चुने गए थे, वे महीने में एक बार इकट्ठा होते हैं और इसमें अपने विद्यालयों से शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं से सम्बन्धित मुद्दों पर टिप्पणियो की तुलना करते हैं तथा विचार विनिमय करते हैं। अलग–अलग चुनौतियों का समाधान करने के लिए उत्तेजनापूर्ण चर्चा की जाती है तथा उन सहपाठियों एवं वयस्कों के साथ का उपयोग करते हैं, जो उनके कार्य को पसंद करते हैं कि शिक्षा मनुष्य का मौलिक अधिकार है।

कानून का सबसे अधिक आशाजनक पहलुओं में एक विद्यालय प्रबंधन समिति की गठन की आवश्यकता है जिसमें छात्रों सहित माता–पिता, अध्यापक, और हितधारक होते हैं। (कर्नाटक में जहाँ मकसा की बैठकें होती हैं, वे विद्यालय विकास प्रबंधन समितियों के नाम से जानी जाती हैं। समिति स्थानीय माता–पिता और छात्रों को शिक्षा का अधिकार के स्थानीय प्रशासन मॉनीटर करने की शक्ति देता है)। यह कार्य विशेष रूप से अति आवश्यक है और इसकी 31 मार्च 2013 की अंतिम तारीख तेजी से आ रही है जब अधिनियम की अनुसूची में निर्धारित आधारभूत सुविधा के मानदंडों की पूरी तरह से क्रियान्वित होने की आशा की जाती है।

जैसा कि मकसा पदाधिकारी आपको बताएँगे, अभी बहुत कुछ किया जाना है विशेषकर बुनियादी सुविधा पर शिक्षा के अधिकार के अनुसार प्रत्येक विद्यालय स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल, लड़के और लड़कियों के लिए अलग–अलग शौचालय, पर्याप्त शिक्षण और अधिगम सामग्री, पुस्तकालय और खेल का मैदान सहित बुनियादी सुविधाएँ होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त विद्यालय साफ–सुथरे होने चाहिए जैसा किशोर ने वर्णन किया है।

क्रियान्वयन और वास्तविकता के मध्य अंतर के बारे में शिकायत करने के बदले मकसा बच्चों ने उनका समाधान करने में सक्रिय भूमिका निभाई है। उदाहरण के

लिए कक्षा IV की छात्रा उषा केमारैया ने अपने विद्यालयों का आंगन साफ करने के लिए मनवाया हैं, कक्षा V अपने छात्र चंदन ने क्षतिग्रस्त कक्षाकक्ष के मरम्मत में केथिगनानहेली में अपने विद्यालय में काम किया। कक्षा V के एक अन्य छात्र भव्यश्री गोविन्दराज ने केमपड़्यापनहली में अपने विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की नियमित सुलभता के लिए सफलतापूर्वक तर्क प्रस्तुत किए।

मकसा के छात्र शिक्षा के अधिकार के अधीन अपने अधिकारों के व्यापक समझ के आधार पर अपने तर्क रखते हैं। भव्यश्री ने स्पष्ट किया "शिक्षा का अधिकार का मुख्य प्रयोग यह है कि कोई भी बच्चा बाहर नहीं रहना चाहिए। सभी बच्चे अनिवार्य रूप से विद्यालय आए। सभी बच्चों को अपने अधिकारी का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें गुणवत्ता शिक्षा मिलनी चाहिए।" कक्षा V का छात्र अधिकांश अन्य शिक्षा कानूनों और शिक्षा के अधिकार के मध्य महत्वपूर्ण अंतर स्पष्ट करता है। शिक्षा विद्यालय आने से भी अधिक है। यह अच्छा विद्यालय आना है।

पदाधिकारी निर्वाचित प्रतिनिधियो की श्रृंखला में उच्चतम समिति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बन्निकुप्पे ग्राम पंचायत में 14 विद्यालय हैं, 3 विद्यालय जिनमें, विद्यालय विकास प्रबंधन समिति में छात्र प्रतिनिधि हैं, एक बालक और एक बालिका। ये छात्र प्रतिनिधि मिलकर मकसा की कार्यकारी समिति बनाते हैं। कार्यकारी समिति पदाधिकारी चुनता है, जिनमें कम से कम एक उस विद्यालय से होता है, जहाँ मकसा है। जैसा कि बैरागी कालोनी से सतीश कागलप्पा गौरव से कहता है, "हमने लोकतांत्रिक तरीके में समिति चुनी है।"

यह अच्छी शासन व्यवस्था में बहुत से पाठों में एक जिसे मकसा के छात्र सीखते हैं। पंचायत से ग्राम शिक्षा समन्वयक, प्रतिभा एन, जो सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर है, उल्लेख करती है, "उनका (बच्चों का) नेतृत्व बड़ा है। उन्होंने प्रश्न पृच्छना अभिरुचि विकसित की है और वे समस्याओं की पहचान कर सकते हैं।

बहुत से विद्यालयों में अभी स्वच्छ पेयजल, समुचित शौचालय और इस्तेमाल योग्य खेल के मैदान सहित बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। पंचायतें जो अंततः शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है, प्रायः न्यूनतम गुणवत्ता मानकों को पूरा करने के लिए संसाधन अभावग्रस्त हैं, भले ही वे उनका समर्थन करते हैं। डॉ. अराध्य का मत है कि, भावी बजटों में इस कमी को दूर किया जाना चाहिए जिसे निजी विद्यालयों में निवेश करने या कामचलाऊ से नई प्रणाली बनाने के बदले विद्यमान सरकारी विद्यालयों को सुधारने में प्राथमिकता देनी चाहिए।

रामनगर की बन्निकुप्पे पंचायत में कम से कम यह असंभावित है कि, शिक्षा का अधिकार की आधारभूत संरचना आवश्यकताएँ 31 मार्च तक पूरी करनी है। परंतु मकसा के बच्चे शिक्षा का अधिकार की रूपरेखा में संस्थापित बड़ी आशाएँ निरूपित करते हैं। मूलतः अधिनियम भारत के लोगों को और विशेषकर भारत के बच्चे को उनके स्वप्न के विद्यालय को वास्तविक बनाने की शक्ति देता है जो कि यह अधिनियम का सबसे बड़ा योगदान है। यह इस क्रांतिकारी विचार पर आधारित है कि, यह सहायता करना हम सभी का उत्तरदायित्व है। बच्चे अपने स्वप्न यथार्थ बनाते हैं।

(lzksr% *दि हिन्दू, 17 मार्च 2013)*

ckèk Á'u 6-3

fVIi.kh क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

4) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार बच्चों के क्या अधिकार है? कक्षा में यह अधिकार अध्यापक द्वारा किस प्रकार संरक्षित किए जाते हैं?

....

....

....

....

5) अधिनियम में "निःशुल्क" और "अनिवार्य" शब्दों का क्या अभिप्राय है? इस संदर्भ में सरकार का क्या उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य है?

....

....

....

....

6) शिक्षा का अधिकार द्वारा सुझाया गया पाठ्यचर्या के स्वरूप पर टिप्पणी लिखिए।

....

....

....

....

....

6-7 fgrèkkjdk dh Hkfedk

यह अधिनियम स्पष्ट रूप से केन्द्र और राज्य सरकारों, स्थानीय प्राधिकारियों, अध्यापकों और विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यों और भूमिका का सीमांकन करता है।

dUæ ljdkj dh Hkfedk

केन्द्र सरकार प्रारंभिक शिक्षा और बाल विकास के क्षेत्र में 15 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार समिति (National Advisory Council - NAC) का गठन करेगी। समिति का कर्त्तव्य है कि विधेयक के कार्यान्वयन में सरकार को निम्न विषयों में सलाह देना:

- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा (National Curriculum Framework - NCF) को शैक्षणिक प्राधिकारियों की सहायता से विकसित करना (परिच्छेद 6, ए);
- अध्यापक की अर्हता और प्रशिक्षण के मानक को लागू एवं विकसित करना (परिच्छेद 6, बी);

- राज्य सरकार को नवाचार, शोध, योजना और सामर्थ्य के लिए तकनीकी एवं आर्थिक रूप से सहायता एवं संसाधन उपलब्ध कराना; (परिच्छेद 6, c)
- विज्ञप्ति द्वारा अनुसूची में संशोधन करना; तथा
- प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता के लिये, केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (Central Teacher Eligibility Test (CTET) का आयोजन करना।

jkT; ljdkj dh Hkfedk

- सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराना;
- अपेक्षित बुनियादी संरचना, अध्यापकों एवं अधिगम के साधनों सहित समीपवर्ती विद्यालय की उपलब्धता को सुनिश्चित करना जैसा कि अधिनियम में निर्दिष्ट है;
- सभी बच्चों के अनिवार्य रूप से नामांकन, उपस्थिति एवं प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करना;
- किसी भी स्तर पर किसी बच्चे के विरुद्ध विभेदीकरण को रोकना;
- बुनियादी संरचना के अंतर्गत कर्मचारी, उपकरण, अध्यापक, प्रशिक्षण की सुविधा, विशिष्ट छात्र प्रशिक्षण की सुविधा और विद्यालय भवन उपलब्ध कराना;
- अधिनियम की विज्ञप्ति में निर्दिष्ट मानकों को अनुकूल बनाने हेतु गुणवत्ता युक्त शिक्षा को सुनिश्चित करना; तथा
- शैक्षणिक अधिकारी की नियुक्ति करना।

LFkkuh; Ákfèkdkfj;k dh Hkfedk

- अपने क्षेत्राधिकार में रहने वाले चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों के अभिलेख को व्यवस्थित करना;
- प्रवासी बच्चों सहित सभी बच्चों के नामांकन को सुनिश्चित करना;
- किसी भी बच्चे के विरुद्ध भेदभाव न किए जाने को सुनिश्चित करना;
- शैक्षणिक कलैण्डर का निर्धारण करना; तथा
- अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले विद्यालयों के कार्यक्रमों का संचालन करना।

vè;kidk dh Hkfedk

- विद्यालय में नियमितता एवं समयनिष्ठा को कायम रखना;
- निर्दिष्ट समय में पूरे पाठ्यक्रम के अध्यापन को पूर्ण करना;
- सभी बच्चों के अधिगम योग्यता का मूल्यांकन करना और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पूरक अतिरिक्त निर्देश प्रदान करना; तथा
- माता–पिता के साथ बैठक का आयोजन करना और उन्हें बच्चे से संबंधित उपस्थिति में नियमितता, अधिगम–योग्यता, प्रगति और अन्य विषयों के प्रति सूचित करना।

fo|ky; Ácèku lfefr dh Hkfedk

अधिनियम के भाग 21 के तहत सभी सरकारी, सरकार द्वारा सहायता प्राप्त और विशेष वर्ग के विद्यालय प्रबंधन समिति (School Management Committee - SMC) द्वारा संगठित होंगे। निजी विद्यालय भाग 21 के द्वारा अधीन नहीं बनाए जाएँगे क्योंकि वे पहले से ही अपनी संस्था/समाज के पंजीकरण के आधार पर प्रबंधन समिति के अधिदेशाधीन होते हैं।

विद्यालय प्रबंधन समिति में स्थानीय अधिकारी, शासकीय अधिकारीगण, माता–पिता, अभिभावकों और अध्यापकों को समाविष्ट किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कार्य करेगी:

- विद्यालय के कार्यो का संचालन;
- विद्यालय के विकास की योजना को तैयार करना एवं उसकी अनुशंसा;
- सरकारी अनुदान के उपयोग का प्रबोधन; और
- निर्धारित किए गए अन्य कार्यक्रमों को पूरा करना।

¼lkr% एम्नेस्टी इंटरनेशनल, 2012)

f'k{kk dk vfèkdkj fØ;kUo;u jkMeSi@le;lhek

f'k{kk dk vfèkdkj vfèkfu;e ds fØ;kUo;u ds fy, le;lhek

dk;Zdyki	le; lhek
परिवेशी विद्यालयों की स्थापना	3 वर्ष (31 मार्च 2013 तक)
विद्यालय आधारभूत संरचना का प्रावधान सर्व ऋतु विद्यालय भवन एक–कक्षाकक्ष एक–अध्यापक प्रधान अध्यापक और कार्यालय कक्ष पुस्तकालय शौचालय, पेय जल निर्बाध पहुँच क्रीड़ा स्थल, चारदीवार, बाउडरी दीवार	3 वर्ष (31 मार्च 2013 तक)
निर्धारित छात्र अध्यापक अनुपात के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था	3 वर्ष (31 मार्च 2013 तक)
अप्रशिक्षित अध्यापकों का प्रशिक्षण	5 वर्ष (31 मार्च 2015 तक)
गुणवत्ता हस्तक्षेप और अन्य प्रावधान	तत्काल

fØ;kdyki 6-2

आपके विद्यालय में उपलब्ध शारीरिक और बुनियादी सुविधाओं की सूची तैयार करें। क्या आप सोचते हैं, आपका विद्यालय शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए तैयार है?

....

....

....

....

....

....

....

....

....

....

ckèk Á'u 6-4

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

7) शिक्षा अधिकार अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए कौन–से विभिन्न हितधारक उत्तरदायी है? अधिनियम क्रियान्वयन में उनकी क्या भूमिका है।

....

....

....

....

....

8) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार अध्यापक को क्या उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं?

....

....

....

....

....

....

9) विद्यालयों में गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करने में विद्यालय प्रबंधन समिति की क्या भूमिका हो सकती है?

....

....

....

....

6-8 fo|ky;k e ÁHkkoh vfèkxe okrkoj.k

शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधीन सभी विद्यालयों को प्रभावशाली अधिगम वातावरण के लिए आधारभूत संरचना और अध्यापक मानदंडों का पालन करना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक साठ छात्रों के लिए दो प्रशिक्षित अध्यापकों की व्यवस्था होगी। अध्यापकों के लिए विद्यालय में नियमित रूप से और समय पर उपस्थित होना, पाठ्यचर्या पूरा करना, अधिगम क्षमता का आकलन करना और माता–पिता अध्यापक बैठकें नियमित रूप से करना आवश्यकता होगा। अध्यापकों की संख्या कक्षा के अनुसार होने के बदले छात्रों की संख्या पर आधारित होगी।

राज्य अध्यापकों की पर्याप्त सहायता सुनिश्चित करेगा जिनसे बच्चों का अधिगम परिणाम उन्नत हो सकते हैं। समुदाय और सिविल सोसाइटी समानतायुक्त विद्यालय गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति के सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

प्रभावशाली अधिगम का परिणाम क्या है?

प्रभावशाली अधिगम में अंतर्निहित परिणाम इस प्रकार है जैसे:

- *अधिक सम्बद्ध ज्ञान;*
- *कार्यनीतियों की व्यापक श्रेणी;*
- *ज्ञान की अधिक जटिलता;*
- *लक्ष्यों और संदर्भ के अनुकूल वृहद कार्य;*
- *बढ़ी हुई संलग्नता और स्वनिर्देशन;*
- *अधिक परावर्ती दृष्टिकोण;*
- *अधिक सकारात्मक भावना और अधिगम से सम्बद्धता; और*
- *अन्य के साथ अधिगम में अधिक सुविधा।*

dku&lh f'k{k.k vfèkxe ÁfØ;k,¡ bl Ádkj d vfèkxe dk ÁkRlkfgr djrh g\

प्रभावकारी अधिगम निम्नलिखित द्वारा प्रोत्साहित की जाती है:

- *परावर्तन और सार्थकतापूर्ण कार्य;*
- *अधिगम के लिए सहयोग;*
- *अधिगम के लिए अध्येता उत्तरदायित्व; और*

- *अधिगम के बारे में अधिगम।*

  ऐसी व्यवस्था में जहाँ अधिगम के प्रभावकारी अधिगम को विद्यालय प्रोत्साहित करता है, उससे निम्नलिखित होने की संभावना होती है:

- *अधिगम को दृश्यमान मुख्य तत्व बनाना;*
- *अधिगम में गहन जाँच प्रोत्साहित करना;*
- *अधिगम विनिमय और मंच की सहायता करना;*
- *समूह अधिगम को पुरस्कार, सहायता और प्रोत्साहन देना; तथा*
- *प्रत्येक कार्य और प्रत्येक नीति को अधिगम क्रियाकलाप बनाना।*

¼ lkr½ eprints.ioe.ac.uk/2019/1/watkins2002effective.pdf)

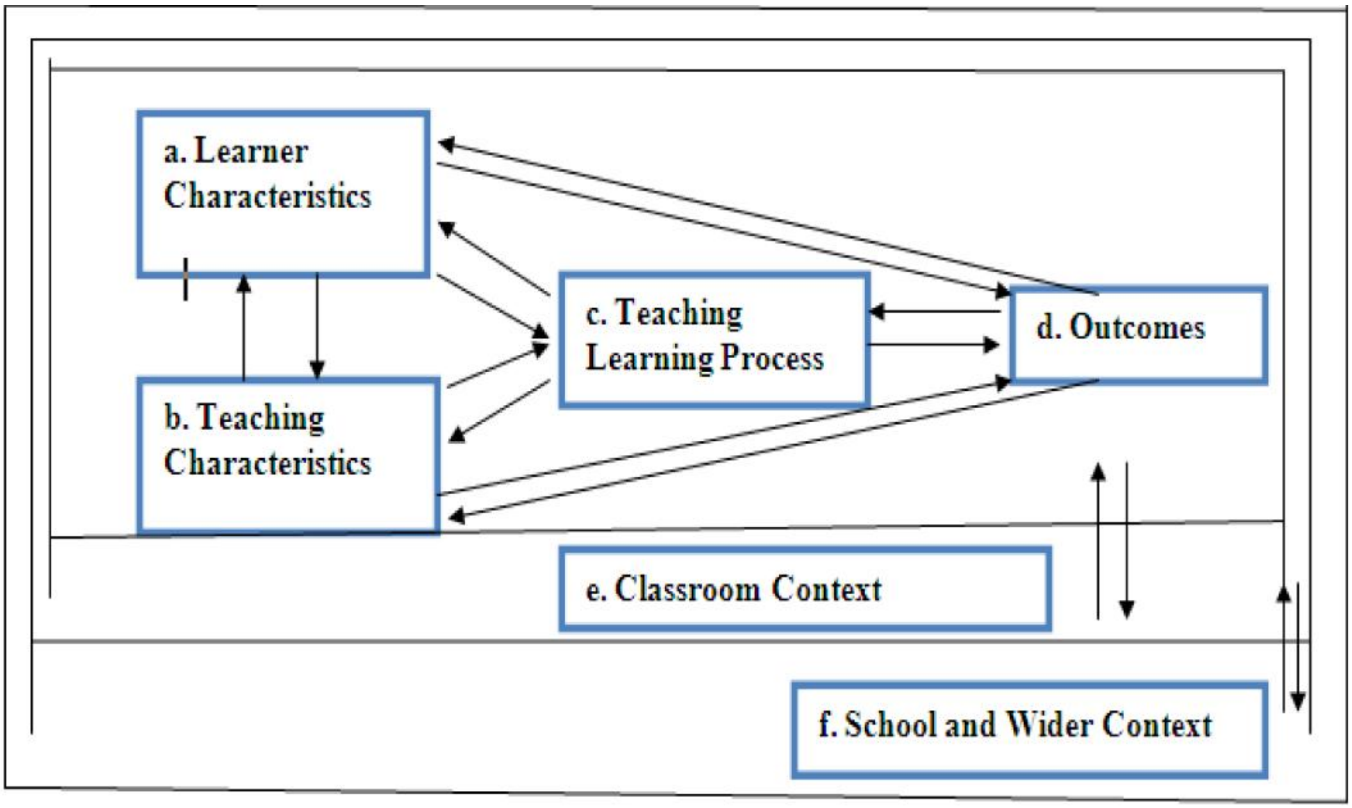

(lkr½ बिग्स एवं मोर, 1993)

ckèk Á'u 6-5

fVIi.kh½ क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

10) "प्रभावशील अधिगम वातावरण" से आप क्या समझते हैं? अपना उत्तर उदाहरण सहित दें।

....

....

....

....

6-9 f'k{kk dk vfèkdkj dk foÙk iks"k.k vkSj fØ;kUo;u

केन्द्र और राज्य सरकार शिक्षा के अधिकार के लिए वित्तीय उत्तरदायित्व में साझेदारी करेंगे। केन्द्र सरकार व्यय का अनुमानित बजट तैयार करेगी। राज्य सरकार को इस राशि का एक निश्चित प्रतिशत मुहैया कराया जाएगा। शिक्षा के अधिकार के प्रावधानों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने पर विचार करने के लिए केन्द्र सरकार वित्त आयोग से अनुरोध कर सकता है।

कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अवशिष्ट राशि को उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का होगा। इसमें एक अधिकरण अंतराल होगा जिसे सभ्य समाज (सिविल सोसाइटी) के साझेदारों, विकासशील एजेंसियों, निगमित संगठनों और देश के नागरिकों के द्वारा सहयोग किया जाना आवश्यक होगा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (National Commission for the Protection of Child Rights - NCPCR) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए अभयपत्रों का पुनरावलोकन करेगा, शिकायतकर्त्ता की जाँच करेगा और उसके पास कष्टकारी मुकदमों में दीवानी अदालत का अधिकार होगा। राज्य बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (State Commission for the Protection of Child Rights - SCPCR) का गठन करेंगे।

6-10 f'k{kk dk vfèkdkj vfèkfu;e dk fØ;kUo;u% leL;k,¡ vkSj pqukSfr;k¡

आइए, हम इस रिपोर्ट से प्रारंभ करें जो हाल ही में समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट बहुत से कार्यों का चित्र प्रस्तुत करती है जिन्हें शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में प्रारंभ किया जाना है। यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य यथास्थान में प्रारंभ होते हैं, और सभी विद्यालयों के लिए यह सुनिश्चित करने की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है कि सभी विद्यालय अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी पहलुओं से सुसज्जित किए जाते हैं।

ग्रामीण भारत की शिक्षा की वार्षिक प्रस्थिति रिपोर्ट (Annual Status of Education Report - ASER) में 51.8 प्रतिशत पाँचवी के छात्र कक्षा II की पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं, 20.6 प्रतिशत आठवीं कक्षा के छात्र कक्षा II की पाठ्यपुस्तकें नहीं पढ़ सकते हैं, 75.9 प्रतिशत पाँचवी कक्षा के छात्र 99 तक की संख्या नहीं पहचान सकते हैं, 43.2 प्रतिशत आठवीं के छात्र साधारण गणित नहीं कर सकते हैं, 29 प्रतिशत विद्यालयों की अपनी इमारत नहीं है, 23 प्रतिशत अध्यापक अप्रशिक्षित हैं, 56 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए शौचालय नहीं है, 27 प्रतिशत विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था नहीं है; 60 प्रतिशत विद्यालयों में अध्यापकों की कमी है, 9 प्रतिशत विद्यालयों में सभी कक्षाओं के लिए एक अध्यापक है, 45 मिलियन बाल श्रमिक, 6 वर्ष की आयु पर नामांकन दर 96.7 प्रतिशत है, विद्यालय में वास्तविक उपस्थिति 71.9 प्रतिशत और पाँचवीं कक्षा तक ड्राप आउट दर 26 प्रतिशत है।

अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए 6 महीने निर्धारित करता है – 31 मार्च 2010 तक – सभी विद्यालयों को अध्यापक–छात्र अनुपात दृढ़ता से पालन करने के लिए, 31 मार्च 2013 तक सभी विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के लिए एवं 31 मार्च 2015 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी अध्यापक अर्हता प्राप्त हैं।

अध्यापक–छात्र अनुपात पर प्रगति का पहले चिन्हक के लिए अंतिम तारीख असफल रहे और 31 मार्च 2013 के लिए एक वर्ष से भी कम समय के आँकड़े दर्शाते हैं कि आधारभूत सुविधाओं की आवश्यकताएँ पूरी करने की भी विद्यालय के लिए नियत समय में भी चूक हो सकती है।

(lkr% हिन्दुस्तान टाइम्स, 18 अप्रेल, 2012)

fØ;kdyki 6-3

उपर प्रदर्शित आँकड़े हमें क्या बताते हैं? विभिन्न निर्धारित समय का पालन कैसे हो सकता है?

....

....

....

....

....

....

....

हमने शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों और प्रारंभिक विद्यालयों की दृष्टि की चर्चा की है। जिसे इसमें प्रस्तावित किया गया है। विद्यालयों की वास्तविकता, अधिनियम का क्रियान्वयन उसके रूप और भावना दूर की कौड़ी प्रतीत होती है।

इस भाग में आइए हम उन बाधाओं और समस्याओं की चर्चा करें जिन्हें मात दिए जाने की आवश्यकता है।

गोविन्दा (2012) के अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में मुख्य समस्याएँ और चुनौतियाँ निम्न प्रकार हैं:

- प्रत्येक विद्यालय को कुछ न्यूनतम बुनियादी सुविधाओं से सुसज्जित किए जाने की आवश्यकता है।
- अध्यापक–विद्यार्थी 1 : 30 के अनुपात में अध्यापकों की आपूर्ति सुनिश्चित करना।
- अध्यापक–छात्र अनुपात की मॉनीटरिंग प्रतिवर्ष की जानी चाहिए।
- तत्काल, मिलियन से अधिक अध्यापक नियुक्त किए जाने चाहिए।
- शारीरिक दंड प्रतिबंधित करना, अवरोधन नीति रहित, सतत् और व्यापक मूल्यांकन, अध्यापकों और कक्षाकक्षों को वास्तव में समावेशी बनाना इत्यादि तत्काल किए जाने की आवश्यकता है।
- संकुल संसाधन केन्द्रों (Cluster Resource Centres - CRCs) तथा खंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों (Block Resource Centres - BRCs) को सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।
- CTET को अध्यापकों की नियुक्तियों के लिए अनिवार्य बनाने की आवश्यकता है और राज्य स्तर पर अध्यापक पात्रता परीक्षण शीघ्र संचालित होने चाहिए।

- प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंधन समिति होनी चाहिए और समुदाय को विद्यालय प्रणाली के अधिक समीप आना चाहिए।
- विद्यालय स्तर पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
- निजी विद्यालयों को चुनौतियों का सामना करने के लिए आगे आना चाहिए।
- अध्यापक शिक्षा संस्थानों को शिक्षा के अधिकार के प्रकाश में अध्यापक प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिए उपयुक्त पाठ्यचर्या में सशक्तिकरण किया जाना आवश्यक है।
- संकुल संसाधन केन्द्रों (Cluster Resource Centres - CRCs), खंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों (Block Resource Centres - BRCs), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (District Institutes of Educational Training - DIETs), राज्यों की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (State Council of Educational Research and Training – SCERT) को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के सही क्रियान्वयन के बारे में अध्यापकों को जागरूकता विकसित करने के लिए अल्पकालिक कार्यक्रम आयोजित और संचालित करने चाहिए।
- विद्यालय स्तर पर अध्यापकों और विद्यालय प्रबंधन समिति को शिक्षा का अधिकार अधिनियम के बारे में समुदाय के सदस्यों और माता–पिता में जागरूकता बनाने के लिए आगे आना आवश्यक है।

fØ;kdyki 6-4

अन्य मुख्य मुद्दे और समस्याएँ क्या हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं और तत्काल हल करने की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

....

....

....

....

....

....

....

....

....

6-10-1 vè;kidk vkj vè;kid f'k{kk dh xq.koÙkk

शिक्षा का अधिकार अधिनियम अध्यापकों को प्रारंभिक शिक्षा सुधारने में उनकी भूमिका प्रभावी ढंग से निभाने के लिए बहुत महत्व देता है।

यह अनुमान लगाया गया है कि अध्यापकों के 5.23 लाख से अधिक पद रिक्त हैं, जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में निर्धारित किया गया है, छात्र अध्यापक अनुपात 30 : 1 लाने के लिए 5.1 लाख अतिरिक्त अध्यापक की आवश्यकता है। पहले ही 5.1 लाख विद्यालयों में छात्र अध्यापक अनुपात 30:1 से अधिक है। इन सबके बावजूद

प्राथमिक स्तर में 5.48 लाख अप्रशिक्षित अध्यापक, उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 2.25 लाख को शिक्षा के अधिकार अधिनियम लागू होने के वर्ष से 5 वर्षों के अंदर आवश्यक अर्हता प्राप्त करनी है। अध्यापकों के प्रशिक्षण की आवश्यकता बहुत अधिक है।

हमारे सभी विद्यालयों में हमारे अध्यापकों की गुणवत्ता को "प्रशिक्षण कार्यक्रमों" के परे भी देखे जाने की आवश्यकता है, इसमें अध्यापक चयन, शिक्षण निर्माण, अध्यापक अभिप्रेरण और सतत व्यावसायिक विकास शामिल है।

अध्यापकों के लिए पात्रता परीक्षण, जैसे CTET और STET शिक्षण क्षमता पर आधारित होनी चाहिए और यह मात्र जानकारी नहीं परंतु कुशलतापूर्ण होना चाहिए। राज्यों की राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों (SCERT), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (DIETs), खंड स्तर पर संसाधन केन्द्रों (BRCs), संकुल संसाधन केन्द्रों (CRCs) को अध्यापक शिक्षा के सभी स्तरों पर क्षमता सुनिश्चित करने के लिए स्वायत्तता का उच्च स्तर प्रदान किया जाना चाहिए।

यद्यपि, गुणवत्ता सुनिश्चित करना एक आवश्यकता है फिर भी अध्यापक शिक्षा मुद्दे जैसे, अध्यापक अनुपस्थिति और प्रधानाध्यापकों एवं अध्यापकों की नियुक्ति पर भी फोक्स आवश्यक है। लगभग 40 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालय, जिनमें 2009–10 में 150 से अधिक छात्रों का नामांकन किया गया था, प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के बिना प्रचालित किए जा रहे हैं। अध्यापकों की अनुपस्थिति का शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों में अनुपस्थिति का स्तर 15 से 40 प्रतिशत है।

6-10-2 fuf’pr ;kX;rk dh deh

विद्यमान अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम जैसे जे.बी.टी., बी.एड., पी.टी.सी., बी.एस.टी.सी., डी.एड. आदि में समुचित फोकस की कमी है। माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रशिक्षित अध्यापकों को मिडिल कक्षाएँ पढ़ाने के लिए सोचा जाता है। प्रारंभिक कक्षाओं के शिक्षण के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षित करने पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है।

6-10-3 f’k{kk d vfèkdkj dk foÙk ik"k.k

नए परिवेशी विद्यालयों की स्थापना, बुनियादी संरचना का उन्नयन विद्यालय सुविधाओं निर्माण कार्य, अध्यापक नियुक्ति और वेतन ऐसे घटक हैं जिनमें व्यय होगा। वित्तीय मान 65:35 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों के मध्य सांझा किया जाता है।

एक वर्ष बाद भी बहुत से राज्यों के पास अधिनियम क्रियान्वयन के लिए निर्धारित राशि नहीं है। 2011–12 में सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय आवंटन में 200 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम को आगे बढ़ाने के लिए सर्व शिक्षा अभियान को प्रमुख माना गया है। अनीता वोर्डिया समिति की रिपोर्ट (मई 2010) ने उल्लेख किया कि राज्यों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए अपने वर्तमान भाग दुगुने करने होंगे।

6-10-4 foèkeku ’kSf{kd lajpuk dk uohuhdj.k

विद्यमान शैक्षिक सहायता संरचनाएँ, जैसे एस.सी.ई.आर.टी, एस.आई.ई.एम.ए.टी. और डी. आई.ई.टी. जो आशाओं और भूमिकाओं में खरे सिद्ध नहीं हुए हैं जैसे उनसे आशा की गई थी। उनकी क्षमताओं को सुदृढ़ किया जाना आवश्यक है। कुछ नीतिगत अनिवार्यताएँ और संरचनाओं के नवीनीकरण के लिए सोची जानी आवश्यक है। कुछ डी.आई.ई.टी. में लगभग 50 प्रतिशत संकाय पद रिक्त हैं, पिछले दो वर्षों में, 43 प्रतिशत ने कोई अनुसंधान

नहीं किया है, जबकि 40 प्रतिशत के पास अपनी छात्रावास व्यवस्था नहीं है, तथा 17 प्रतिशत के पास अपना भवन नहीं है। पदोन्नति के विकल्पों, योजना में शैक्षिक नेतृत्व, शैक्षिक कार्यों के निष्पादन की कमी और गुणवत्ता आकलन के लिए रूपरेखा का अभाव अन्य सम्बद्ध समस्याएँ हैं।

6-10-5 vkèkkjHkr lfoèkkvk dk vHkko

डी.आई.एस.ई. फ्लेश स्टेटिस्टिक, (DISE Flash Statistics) 2009–10 रिपोर्टों के अनुसार, औसत, प्रति विद्यालय केवल 3.6 कक्षाकक्ष थे, 2009–10 में कुल नामांकित के लगभग 2. 5 प्रतिशत ऐसे विद्यालयों में गए जहाँ छात्र कक्षाकक्ष का अनुपात 60 से अधिक था। 2009–10 में केवल 58 प्रतिशत विद्यालयों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय था, केवल 39 प्रतिशत विद्यालयों में बिजली कनेक्शन था और 16.5 प्रतिशत में कम्प्यूटर सुविधाएँ थीं। लगभग 50 प्रतिशत विद्यालयों में बाउण्डरी दीवार नहीं है, अधिकांश सरकारी विद्यालय यातायात की सुविधाएँ नहीं देते हैं, जिससे विशेषकर दुर्गम स्थानों में ड्राप आउट छात्रों की संख्या में बढ़ोतरी होती है।

6-10-6 ifj.kke vkèkkfjr Á.kkyh fodfl r djuk

अधिनियम और शिक्षा प्रणाली विकसित करना (नामांकन, आधारभूत संरचना, अध्यापकों की उपलब्धता सामग्री) निवेश आधारित हैं ना कि परिणामान्मुखी। क्षमता आधारित परीक्षण जो जानकारी या रटने पर आधारित अधिगम के बदले संकल्पनात्मक ज्ञान और अनुप्रयोग की परीक्षा करता है, उस पर बल दिया गया है।

6-10-7 ÁkjfHkd cky; f'k{kk dk ofg"dj.k

पूर्व बाल शिक्षा पर अध्ययन सुझाते हैं कि 3–6 वर्ष की आयु वर्ग में बच्चों को वातावरण से अनुकूल बनाना आवश्यक है, इससे उनका विकास और वृद्धि प्रेरित होगी। उन बच्चों की तुलना में जो 6 वर्ष की आयु में पहली बार विद्यालय जाते हैं, वे बच्चे जो साक्षरता समृद्ध वातावरण का अनुभव करते हैं, एवं कार्यों में रहते हैं। यद्यपि, शिक्षा का अधिकार, औपचारिक विद्यालयी से इस आयु वर्ग को चर्चा नहीं करता है और इसे स्पष्ट रूप से शामिल करना आवश्यक है।

jk"Vh; lykgdkj ifj"kn (NAC) }kjk dh xbZ dN flQkfj'k

नीचे अनुभाग में हम इस सम्बन्ध में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद द्वारा की गई कुछ सिफारिशों का विवेचन करेंगे।

c<rk gvk foÙkh; vkcVu

प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने आकलन किया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शिक्षा के अधिकार – सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम को वर्तमान सर्व शिक्षा अभियान मानकों (किसी अन्य अतिरिक्त घटकों को जोड़े बिना) की पूर्ति के लिए 2,24,389 करोड़ रुपयों की आवश्यकता होगी। यदि अधिक समावेशन और उन्नत गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अधिक आवश्यक अतिरिक्त घटकों को मिलाया जाता है तो बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान शिक्षा के अधिकार – सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम की वित्तीय आवश्यकताएँ कम से कम 3,11,618 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। इन आवश्यकताओं के लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने केवल 1,92,726 करोड़ रुपए का आवंटन प्रदान किया है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान लगभग 1.18 लाख करोड़ रुपये की कमी को छोड़ दिया है, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपायों पर विचार करना आवश्यक है:

i) बजट परिव्यय की वृद्धि पर विचार करना; तथा

ii) शिक्षा के लिए सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत निर्धारित करने के लक्ष्य की और शनैःशनै बढ़ाना (जैसा कि 1966 में कोठारी शिक्षा आयोग रिपोर्ट द्वारा उल्लेख किया गया था।

lkoZtfud O;; esa n{krk

निवेश के लिए लेखाकरण और शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार भौतिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अधिगम परिणामों और समावेश से सार्वजनिक व्यय को सम्बद्ध करना भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। सुस्पष्ट परिभाषित परिणाम लक्ष्य स्थापित करना – ये मानक और बैंचमार्क सुस्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए कि, छात्रों को क्या अधिगम करना है और पाठ्य विवरण डिजाइन में लचीलापन की भी पर्याप्त गुंजाइश होनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण हैः

- अधिगम के ग्रेडवार मानकों को स्पष्ट करना;
- पाठ्यविवरण, पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण अधिगम सामग्री का सामंजस्य सुनिश्चित करना;
- बाल केन्द्रित कक्षाकक्ष प्रक्रियाएँ अपनाना, जैसा कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अनुसार 29 (ii) में अधिदेशित किया गया है;
- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से सतत कक्षाकक्ष अध्येता मूल्यांकन के लिए दृष्टिकोण और साधनों को डिजाइन करना जो संभव सुधारात्मक क्रियाओं के लिए छात्रों के अधिगम स्तरों पर अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है; और
- कक्षाकक्ष में, जैसा कि एन.सी.एफ.–2005 में रूपरेखा दी गई है, भाषा के लिए समुचित शिक्षाशास्त्रीय दृष्टिकोण अनुप्रयोग करना।

O;kolkf;d ekud% सरकार को निम्नलिखित करना चाहिए (i) अध्यापकों, अध्यापक शिक्षा और अध्यापक शिक्षा संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक विकसित करना; (ii) व्यावसायिक मानकों से पाठ्यविवरण शैक्षिक सिद्धांतों की समरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी अध्यापक–शिक्षा कार्यक्रमों की व्यापक समीक्षा और संशोधन प्रारंभ करना; और (iii) सुनिश्चित करना कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों और दूर शिक्षा कार्यक्रम चलाने वाली संस्थाओं सहित सभी सरकारी और निजी अध्यापक शिक्षा संस्थाओं का मूल्यांकन सरकार द्वारा निर्धारित व्यावसायिक मानदंडों के आधार किया जाता है।

vfHkfoU;kl vkSj lsokdkyhu Áf'k{k.k dk;ZØe

केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों के सहयोग से निम्नलिखित कार्य करने चाहिए; (i) अध्यापकों की भर्ती के बाद प्रवेश और अभिविन्यास कार्यक्रम की पुनर्भिकल्पना और (ii) समुचित प्रौद्योगिकियों का तथा दूर अभिगम एवं आमने–सामने अनुक्रिया के मिश्रण का भी प्रयोग कर सेवाकालीन प्रशिक्षण की प्रणाली लागू करना।

fo|ky; vè;kidksa dh ofèkZr ÁfLFkfr % अर्हताओं के अतिरिक्त व्यवसाय में प्रतिभा को आकर्षित करने तथा शिक्षण व्यवसाय की गरिमा सुदृढ़ करने के लिए अध्यापकों की सेवा शर्तों, और लाभ को मानवीकृत करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए देश भर में भिन्न–भिन्न अध्यापक भर्ती पद्धतियों और सेवा शर्तों के व्यापक मूल्यांकन पर आधारित मॉडल दिशा–निर्देश विकसित करना आवश्यक है।

O;kid ifjHkk"kk % राज्य सरकारों को सुविधा वंचितों की सभी श्रेणियों को अधिनियम में उल्लिखित विशिष्ट समूहों के अलावा को सहायता देने और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना

चाहिए। दूसरे शब्दों में कई समूह हो सकते हैं, जैसे गली या प्रवासी बच्चे (जिनके लिए परिवेशी परिभाषित करना कठिन है), संघर्षरत क्षेत्रों में बच्चे, हाथ से मैला ढ़ोने वालों, सैक्स वर्करों के बच्चे, और एच.आई.वी. ⁄ एड्स द्वारा प्रभाविता के बच्चे (उनकी गोपनीयता सुरक्षित करते हुए) हो सकते हैं, जो गंभीर असुविधा का भी सामना कर सकते हैं।

lko.tfud vkèkkjHkr lijpuk dk b"Vre Á;kx : अनुप्रयुक्त विद्यालय भवन और अन्य खाली सार्वजनिक भवन प्रारंभिक शिक्षा बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी साझेदारी विकसित करने के लिए अवसर प्रदान करते हैं। ये स्थान अनेक प्रकार सृजनात्मक कार्य करने के लिए विशेष कक्षाएँ, नियमित विद्यालय, जैसे जहाँ आवश्यक हो, और अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं।

ckèk Á'u 6-6

fVIi.kh% क) अपने उत्तरों को दिए गए रिक्त स्थान में लिखिए।
ख) अपने उत्तरों को इस इकाई के अंत में दिए गए उत्तरों से मिलाइए।

11) गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा से क्या अभिप्राय है? अध्यापक शिक्षा में गुणवत्ता कैसे बढ़ाई जा सकती है?

....

....

....

....

12) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, एस.आई.ई.एम.ए.टी., बी.आर.सी. और सी.आर.सी. का नवीकरण कैसे हो सकता है, ताकि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के लिए अध्यापकों के प्रशिक्षण में प्रभावकारी कार्य निष्पादन कर सके?

....

....

....

....

13) "परिणाम" आधारित प्रणाली क्या है? "निवेश" आधारित प्रणाली से "परिणाम" आधारित प्रणाली में अंतरित करना क्यों महत्वपूर्ण है?

....

....

....

....

6-11 lkjk'k

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009) संविधान के निवेशन सिद्धांतों में की गई वचनबद्धता का चरम बिन्दु है। अप्रवर्तनीय निर्देश होने से मौलिक अधिकार होने तक की यात्रा बहुत लम्बी और दुष्कर रही है। अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य गुणवत्ता शिक्षा के लिए प्रावधान कर 6–14 वर्ष के आयु वर्ग में सभी बच्चों के निःशुल्क

और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व पूरा करता है। अधिकार, विद्यालय में दबाव और भयमुक्त निःशुल्क, आनंददायक और बाल–केन्द्रित अधिगम अनुभव प्रदान कर बच्चे का सापेक्ष महत्व समावेश करता है। यह ऐसे वातावरण में "भार रहित अधिगम" की आवश्यकता को ध्यान में रखता है जो अधिगम में बच्चे के लिए "आनंददायक, सुखद और प्रेरक" है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया चिन्ता से मुक्त है और बच्चे का ज्ञान निर्माण करता है, इसका पाठ्यविवरण सुधारों के लिए निहितार्थ है। इतना ही नहीं अध्यापक शिक्षा से स्वतः पुनरानुकूलन की भी आशा की जाती है ताकि अध्यापक प्रभावी ढंग से पढ़ा सके।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम मुख्य हितधारकों जैसे माता–पिता और समुदाय को उन्हें अधिक समीप लाकर तथा विद्यालय से सम्बन्धित मामलों में उन्हें सम्मिलित गुणवत्ता शिक्षा का उद्देश्य प्राप्त करने में अधिक उत्तरदायी बनाता है।

यद्यपि अधिनियम का अधिनियमन, यद्यपि क्रांतिकारी पथ है और यह पथ में उन चुनौतियों का विश्लेषण करने के लिए बाध्य करता है, जो गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के पथ में विद्यमान हैं। इसलिए आधारभूत संरचना का अभाव, अध्यापकों की उपलब्धता, छात्र–अध्यापक अनुपात, कक्षाकक्ष में पाठ्यविवरण अभ्यास, प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में लाना, उसकी जाति, लिंग, भौगोलिक आवास, विशेष आवश्यकताएँ आदि, जैसे मुद्दों और यह सुनिश्चित करना कि अधिगम निष्कर्ष आशा के अनुसार हों। तत्काल ध्यान देना आवश्यक है ताकि जमीनी स्थिति अधिनियम में संकल्पित दृष्टिकोण से मेल खाती हो।

6-12 lanHkZ xzaFk ,oa mi;ksxh iBu lkexzh

एमनेस्टी इंटरनेशनल, (2012). *दी राइट टू एजुकेशन,* हकी ज़ेतू, ई.एस.सी. राइट्स इन प्रैक्टिस, नीदरलैंडः

बिग्स, जे.बी. एवं मोरे, पी. जे. (1993). *दी प्रोसेस ऑफ लर्निंग,* तृतीय संस्करण, एगंलवुड क्लिफ्स, न्यू यार्कः प्रेन्टिस हॉल।

भारत सरकार (2009). *दी राइट् ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन एक्ट, 2009,* 27 अगस्त 2009, दी गजट ऑफ इंडिया, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय (संवैधानिक विभाग). भारत सरकार, नई दिल्लीः भारत।

हिन्दुस्तान टाइम्स (18 अप्रेल, 2012). *एनुअल स्टेट्स ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट* (एसर)।

केविन, डब्ल्यू, (1999). *एजुकेशन नाऊः ब्रेक दी साइकल ऑफ पावर्टीः* ऑक्सफोर्डः ऑक्सफेम इंटरनेशनल, पृ. 1 – 7

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, (2010). *बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन पर समिति की रिपोर्ट और सर्व शिक्षा अभियान,* अप्रैल 2010 का परिणाम, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग।

पार्थ, जे. एस. (2009). *दी राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कम्पलसरी एजुकेशन बिल, 2008।*

बच्चों के प्राथमिक शिक्षा के मूल अधिकार पर प्रधानमंत्री का राष्ट्र को संबोधन, 1 अप्रैल 2010, वेबसाइट http://www.pib.nic.in/newsite/erelease.aspx?relid=60001 ।

PROBE, (2000). *पब्लिक रिपोर्ट ऑन बेसिक एजुकेशन इन इंडिया.* नई दिल्लीः ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, पृ. 3।

रामचन्द्रन, एवं अन्य, (2003). थ्रू दी लाइफ स्काइल ऑफ चिल्ड्रनः फैक्टर्स डिटरमानिंग सक्सेसफुल प्राइमरी स्कूल कम्पलिशनः *इकॉनामिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली,* सं. 47, खंड XXXVIII, 22 नवम्बर।

राणा, वी. (2009). राइट टू एजूकेशन, *इकॉनामिक एंड पॉलिटिक्ल वीकली,* जुलाई 23, 2009, समीक्षा ट्रस्ट पब्लिकेशन्स।

टोमासेवस्की. के. (2004). *मैनुअल ऑन राइट बेस्ड एजुकेशनः ग्लोबल ह्यूमन राइट्स रिक्वायरमेंट मेड सिम्पल,* बैंगकॉकः यूनेस्को।

यूनेस्को, (2002). *लर्निंग टू बीः ए होलिस्टक एंड इंटीग्रेटिड एप्रोच टू वैल्यू एजुकेशन फॉर ह्यूमन डेवलेपमेंट.* वेबसाइटः <http://unesdoc.unesco.org/images /0012/001279/ 127914>. pdf।

6-13 ckèk Á'uksa ds mÙkj

1) शिक्षा के मुख्य प्रयोजनः

   – व्यक्तित्व का समग्र विकास;

   – मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों का सम्मान;

   – सक्रिय सामाजिक, सहभागिता; और

   – राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ।

   मानव अधिकारों की भाँति शिक्षा भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मानव जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

2) "राजनीतिक इच्छा" या "राजनीतिक वचनबद्धता" का अभिप्राय देश के लोगों के विकास से सम्बन्धित विभिन्न परियोजनाओं के लिए सरकार की पहल और प्रभावकारी क्रियान्वयन है। सर्वजनीन प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार सरकार के सामने बहुत विशाल कार्य है चाहे यह केन्द्रीय या राज्य बजट सम्बन्धी संसाधन, आधारभूत संरचना, अध्यापकों के लिए गुणवत्ता प्रशिक्षण आदि हैं; सभी के लिए राज्य से वचनबद्धता आवश्यक है।

3) स्वतंत्रता के पश्चात की अवधि में शिक्षा के मौलिक अधिकार का विश्लेषण करें और इसे स्वयं करें।

4) 6–14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार, शारीरिक दंड पर प्रतिबंध, कोई निरोध नीति नहीं, सतत और व्यापक मूल्यांकन और कक्षाकक्ष को समावेशी पाठ्यविवरण आधारित गुणवत्ता शिक्षा बनाना, अध्यापकों को अर्हता प्राप्त होना और सभी शैक्षिक उत्तरदायित्व निर्वहन करना।

5) शिक्षा के अधिकार अधिनियम में "निःशुल्क" का अभिप्राय राज्य द्वारा उन सभी वित्तीय बाधाओं को हटाना है जो बच्चे को आठ वर्ष की विद्यालयी अनुभवों से रोकता है और "अनिवार्य" शब्द का अभिप्राय यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा न छूटे। यह वित्तीय और अन्य उत्तरदायित्व साझा करने में केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारों के उत्तरदायित्व और कर्त्तव्य विनिर्दिष्ट करता है।

6) कक्षा के लिए पाठ्यचर्या में सुझाए गए सभी पाठ्यचर्या पद्धतियों को शिक्षा सत्र में पूरा किया जाएगा। संविधान में संप्रतिष्ठित मूल्यों के सामंजस्य में बच्चे के ज्ञान की संभावना तथा प्रतिभा पर निर्माण तथा बच्चा मैत्रीपूर्ण और बाल केन्द्रित अभिगम की प्रणाली द्वारा बच्चे को भय, चिंता और आघात से मुक्त बच्चों का सर्वमुखी विकास सुनिश्चित करता है।

7) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार तथा राज्य शिक्षा विभाग, स्थानीय प्राधिकरण, अध्यापक और विद्यालय प्रबंधन समिति। हितधारकों की भूमिका के ब्यौरे पढ़े (बिन्दु 6.7) और इसे स्वयं करें।

8) विद्यालय में नियमितता और समझ का पालन बनाए रखना, अधिगम क्षमता का आकलन करना, और सम्पूरक अनुदेश देना। यदि आवश्यकता हो, मातापिता, विद्यालय प्रबंधन समिति आदि से नियमित रूप से बैठकें करना।

9) विद्यालय की बैठकों का मॉनीटर करना, विद्यालय विकास योजना तैयार करना और सिफारिश करना तथा सरकारी अनुदानों की उपयोगिता को मॉनीटर करना आदि।

10) "प्रभावकारी अधिगम वातावरण" का अभिप्राय है, प्राथमिक स्तर पर प्रत्येक 60 छात्रों के लिए दो प्रशिक्षित अध्यापक प्रदान किए जाएँगे, अध्यापकों से विद्यालय नियमित रूप से तथा समय पर उपस्थित होने, समय पर पाठ्यचर्या पूरा करने, अधिगम समय का आकलन करने और माता–पिता अध्यापक बैठक नियमित रूप से करने की आशा की जाती है।

11) विषयवस्तु और शिक्षाशास्त्र से सुसज्जित तथा कक्षाकक्ष में पाठ्यचर्या प्रस्तुत करने का कौशल अध्यापक शिक्षा द्वारा गुणवत्ता अध्यापक शिक्षा सुनिश्चित करता है।

12) जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों, एस.आई.ई.एम.ए.टी., बी.आर.सी. और सी.आर.सी. का नवीकरण शिक्षा के अधिकार अधिनियम क्रियान्वित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्रदान कर और उन्हें आवश्यक मानव संसाधन विकास तथा आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

13) "परिणाम" आधारित प्रणाली का अभिप्राय कार्यक्रम के अंत में निश्चित परिणाम की प्राप्ति सुनिश्चित करना है। "परिणाम" आधारित प्रणाली सदा "निवेश" आधारित प्रणाली से अच्छी होती है क्योंकि निश्चित परिणाम प्राप्त करने को ध्यान में रखकर तैयार की गई प्रणाली में सभी सोपान होते हैं।